राजस्थान विधान सभा

४६वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—१० मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.२५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६०४

सन् १९५२ से १९५५ तक सी. आई. बनाये तथा
पुनः एस. आई. बनाये गये पुलिस थानेदार

श्री हनवन्तसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) सन् १९५२–५३, १९५३-५४ व १९५४-५५ में किन किन एस. आई. को प्रमोशन देकर सी. आई. बनाया गया है ?

(ख) कौन २ से ऐसे सी. आई. हैं जिनको वापिस एस. आई. बनाया गया और क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)— (क) सन् १९५२- ५३ में श्री बनारसी प्रसाद, श्री कामेश्वर नाथ, श्री श्यामलाल यादव, श्री पुंजी लाल, श्री सुलसिंह । सन् १९५३-५४ में श्री सूरजभान, श्री देवासिंह, श्री कामेश्वर दयाल, श्री बद्री प्रसाद, श्री अमरसिंह, श्री अमृतसिंह, श्री लबीरसिंह, श्री कृपाल सिंह, श्री बीरबलदास, श्री लेखा राम, श्री बृज गोपाल, श्री गोरधनलाल, श्री मदनसिंह, श्री सूरजराम, श्री निरन्जन सिंह, श्री इद्रसिंह ।

सन् ५४-५५ में श्री जीवराजसिंह, श्री माणिकलाल, श्री नाथूराम, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री जयचन्द, श्री अब्दुल रजाक, श्री अब्दुल हमीद खां, श्री प्रतापसिंह श्री मुकन्दलाल, श्री लाल चन्द, श्री गुरुचरण लाल, श्री जगमोहन स्वरूप, श्री एम, के. बदवानी, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री किशन लाल सैनी, श्री सरदार राम, श्री गजसिंह, श्री कामेश्वर नाथ ।

(ख) १९५२-५३ में श्री बैजनाथ, श्री शिवशंकर और रियाज़ मोहम्मद, ये इन्टेग्रेशन में सब इन्सपेक्टर मुकर्रर हुए इसलिये रिवर्ट किये गये । श्री गुमानसिंह का वर्क ठीक नहीं था इसलिये रिवर्ट किया गया । श्री रूपसिंह, श्री सादूंल सिंह, श्री अब्दुल हफीज़, श्री हामिद अली, श्री मोहनसिंह इनको इन्टेग्रेशन में सब इन्सेपेक्टर मुकर्रर किया इसलिए रिवर्ट किया गया ।

Page No 2

[श्री रामकिशोर व्यास]

सन् ५३-५४ में श्री मुकुन्दलाल डी लिस्ट में आगये थे इसलिए रिवर्ट किये गये।

श्री सुखसिंह जुनियर मोस्ट थे इसलिए उनको वापिस कर दिया गया। श्री पूंजीलाल को वापिस कर दिया गया है। श्री कामेश्वर नाथ बहुत जूनियर थे। श्री बन्सीधर सिंह ने कोई वर्क नहीं किया।

श्री हनवन्तसिंह—क्या यह सच है कि इनमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डाकू को मार दिया तो उनको प्रमोशन दे दिया लेकिन बाद में उनको वापिस एस. आई. बना दिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—क्या कहा मैंने सुना नहीं?

श्री हनवन्तसिंह—डाकू मार देते हैं तो एस. आई. से सी. आई. बना देते हैं और कुछ अर्से के बाद वापिस एस. आई. बना देते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—वे सीनियोरिटी में नहीं आते हैं तो वापिस रिवर्ट हो जाते हैं।

श्री हनवन्तसिंह—पहले प्रमोशन देने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—जब एक ऑफीसर रिवर्ट होता है तो वे ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाते हैं।

श्री हनवन्तसिंह—तो इसका पहले ध्यान नहीं रखा जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास—डिप्टी सुप्रिन्टेडेन्ट पुलिस जब रिवर्ट होकर सी. आई. होते हैं और इन्सपेक्टर की जगह काम करते हैं तो नेचुरली सी. आई. एस. आई. की जगह आ जायेंगे।

प्रश्न संख्या ९०५

भाखरा नहर की सिंचाई से वंचित नोहर और भादरा तहसीलों का दक्षिणी व पश्चिमी भाग

श्री हंसराज आर्य—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या सरकार को नोहर और भादरा तहसीलों का पूर्वी- दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा

[श्री हंसराज आर्य]

के जो कि भाखरा नहर की सिंचाई से वंचित रह गया है पंजाब की जमन गरबी नहर से पानी लेकर सिंचाई करने का विचार है ? यदि हां, तो क्या उसकी सर्वे हो चुकी है ?

(ब) उपरोक्त हिस्से की सर्वे से कितनी एकड रकबा काबिल सिंचाई माना गया है और उपरोक्त सर्वे में भादरा तहसील के और तहसील नोहर के कितने और कौन २ गांव आयेंगे ?

(स) इस सर्वे शुदा रकबे की सिंचाई के लिए कितने क्यूसिक पानी चाहिये था !

(द) क्या इस रकबे में नहर लाने के बारे में पंजाब सरकार से कोई बातचीत हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(फ) क्या इस नहर में राजगढ़ और तारानगर तहसीलों के भी कोई गांव आये हैं ? यदि हां, तो उनकी एक सुची सदन की मेज पर भी रखने का कष्ट करें ।

(र) क्या इस नहर की मुरब्बा बन्दी शुरू करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री, सिंचाई मंत्री के स्थान पर)—(अ) इस क्षेत्र की केवल प्रारम्भिक सर्वे ही की गई है ।

(ब) प्रारम्भिक जांच से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंचाई ४ लाख एकड़ क्षेत्र के उन उन भागों में हो सकेगी जहां टीबे आदि नहीं हैं । उसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं हो पाई है ।

(स) गांवों की संख्या व उनके नाम विस्तृत पैमाइश के बाद मालूम हो सकेंगे ।

(द) अनुमान है इस भाग के लिए ७०० क्यूसेक पानी चाहिएगा । पंजाब सरकार से अभी लिखा पढ़ी चल रही है । उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(फ) नहीं ।

(र) नहीं। मुरब्बाबन्दी तभी शुरू करना उपयुक्त होगा जब हमें इसके लिए पंजाब सरकार उनकी नहरों द्वारा पानी देना स्वीकार करले ।

श्री हंसराज आर्य—पंजाब सरकार से उत्तर कब तक मिलने की आशा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अपनी ओर से लिख दिया गया है। याद दिहानी भी भेजी है और ऐसी आशा है कि जल्दी ही उत्तर मिल जायगा।

श्री हंसराज आर्य—यह जो ७ हजार क्युसिक पानी का सवाल है तो कौन सी नहर से आयेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भाखरा सिस्टम में जो है उनको नरवाणा और सिरस ब्रांचेज़ हैं उनसे आने की आशा है।

श्री हंसराज आर्य—क्या यह पानी राजस्थान कैनाल से कम होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिवाय पानी देंगे तो उसके बदले में पानी लेंगे। वे तभी तो देंगे। पंजाब वाले अपना कोटा कम नहीं करेंगे।

श्री धर्मपाल पंवार—लिफ्ट से सिंचाई कराने का प्रोवीज़न है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

प्रश्न संख्या ६०६

फरवरी, १६५६ में टोंक स्थित जिला जैल के नजरबन्द भू-स्वामियों के द्वारा समाचार पत्रों की मांग पर शासकीय आदेश

श्री जवानसिंह—(श्री तनसिंह के स्थान पर) (१) क्या यह सही है कि फरवरी, १९५६ में टोंक स्थित जिला जैल के नजर बन्द भूस्वामियों ने समाचार पत्रों के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे और वे प्रार्थना पत्र सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, टोंक को भेजे गये ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सुपरिन्टेण्डेन्ट ने स्वयं कुछ भी हुक्म न देकर जिलाधीश के पास सरकारी आज्ञा प्राप्त करने के लिए उक्त प्रार्थना-पत्रों को भेजा ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने उस प्रार्थना पत्र पर अब तक कोई आज्ञा नहीं दी है ? यदि दी है, तो कब दी और क्या दी ?

(४) क्या यह सही है कि वे ही समाचार पत्र प्रार्थियों को बाद में बिना सरकारी आज्ञा के ही उसी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने देना स्वीकार कर लिया है और देते रहे ?

(५) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के ऐसा करने के क्या कारण है ?

[श्री जवानसिंह]

(६) क्या यह सही है कि जो समाचार पत्र सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा स्वीकृत होते थे उनमें भू-स्वामी संघ सम्बन्धी जितनी भी खबरें होती थीं वे सभी काट ली जाती थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) सरकार द्वारा राष्ट्रदूत और वीर अर्जुन समाचार पत्रों के आपत्तिजनक अंशों का विवेचन करने के बाद दिये जाने की आज्ञा ६-२-५६ को दी गई थी।

(६) जी नहीं। इसका उत्तर ऊपर आ चुका है। समाचार पत्रों में जो आपत्तिजनक भ्रम फैलाने वाले समाचार होते थे तो वे काट दिये जाते थे।

श्री जवानसिंह—जो नजरबन्द समाचार मंगाते थे उनका खर्चा क्या सरकार देती थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो एप्रूव्ड लिस्ट में थे वही दिये जाते थे और जो दूसरे अखबार मंगाना चाहते थे वे अपने खर्चे से मंगाते थे।

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या १०७

टोंक स्थित जिला जेल में रखे गये भू-स्वामियों द्वारा मंगाये जाने वाले समाचार पत्रों पर सेन्सर

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंहकी ओर से)— Will the Home Minister be pleased to state."

(1) What periodicals and newspapers have been supplied to the Bhooswami Detenues in the Distt. jail, Tonk under clause 14 (5) and 14 (6) respectively of the Rajasthan Conditions of Detention Order 1952 ?

(2) Is it a fact that the newspapers supplied under part II of clause 14 (6) of the said order were sent to the Senior Distt. officer of the Police for

Page No 6

[श्रीजवानसिंह]

censorship under sub-clause (5) when it is specifically laid down that there can be no conditions except under sub-clause (1), (2), (3) of the same clause?

(3) If so, why?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) निम्नलिखित समाचार पत्र दिये गये हिन्दुस्तान, टाइम्स ऑफ इन्डिया, लोकवाणी, नवयुग, धर्मयुग। राष्ट्रदूत और वीर अर्जुन सरकार की एप्रूव्ड लिस्ट पर नहीं थे लेकिन उनकी मांग पर दिये गये।

(२) जी हां राष्ट्रदूत और वीर अर्जुन लिस्ट पर नहीं थे विवेचन के बाद दिये गये।

(३) कोई अव्यवहारिकता नहीं की गई।

श्री जवानसिंह—राष्ट्रदूत कब से दिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—मांगा जब, कुछ दिनों बाद दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष—श्री ब्रिजेन्द्रपाल।

प्रश्न संख्या १०८

सन् १९५४-५५ में रंगावा तालाब के किनारे के आम के बगीचे का ठेका

श्री जवानसिंह (श्री ब्रिजेन्द्रपाल की ओर से)—Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

For how much was the contract of the mango grove on the embankments of Ran gawa Tank given in the year 1654-55?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक प्रश्न और बीच में रह गया है, पीरियोडिकल्स के बारे में।

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री की ओर से)— रांगवा तालाब के किनारे पर लगे हुए आमों के पेड़ों का ठेका सन् १९५४-५५ में ११० रुपयों में दिया गया।

श्री जवानसिंह—यह किसको दिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—करौली के तहसीलदार ने दिया था। किसको दिया था, नाम मुझे नहीं मालूम है। जानकारी प्राप्त करके बताया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—ठेके की रकम साधारणतया वार्षिक आमदनी से ज्यादा थी या कम?

श्री चांदमल मेहता—पहले साल ५१ रुपये में दिया गया फिर ११० में मिला इसलिए कहा जा सकता है कि साधारणतया से कम मिली थी।

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या ६०६

अरडका ग्राम के निवासी श्री भंवरसिंह का टोंक जिले के पुलिस अधिकारी द्वारा १०६ के अन्तर्गत चालान

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की ओर से)—गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि अरडका ग्राम के निवासी भंवरसिंह का टोंक जिले के पुलिस के अधिकारियों ने गत दो माह हुए पीनल कोड की धारा १०६ में चालान किया?

(२) क्या यह सही है कि वह व्यक्ति अपने सुसराल भेदवास में आया हुआ था, उसे उसकी सुसराल से पकड़ा गया और वह लगभग १५ रोज तक जिला टोंक में रहा?

(३) क्या यह भी सही है कि १५ रोज बाद उस पर मुकदमा पुलिस की ओर से वापिस ले लिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री):—न० ५८६

श्री जवानसिंह—The questions have been renumbered and therefore it is No. 909.

श्री रामकिशोर व्यास—(१) जी हां।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) मुकदमा वापिस नहीं लिया गया । यह अदालत में चल रहा है ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जवानसिंह—चार, पांच, किस के उत्तर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ओरिजिनल में पूछा था ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या ६१०

भूपाल सागर तहसील के रेवेन्यू इन्सपेक्टर व कर्मचारियों को १०० रु० की रिश्वत लेते पकड़े जाना ।

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की ओर से)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि भूपाल सागर तहसील के एक रेवेन्यू इन्सपेक्टर व कर्मचारी सौ रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये ?

(२) क्या यह सही है कि उन नोटों पर पुलिस अधिकार के हस्ताक्षर थे ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त दोनों कर्मचारियों को उनकी नौकरी से सस्पेंड नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) तहसील भूपाल सागर का सहना श्री घासी खां रंगे हाथों बन्दी बनाया गया एवं रेवेन्यु इन्सपेक्टर श्री मांगी लाल को बाद में बन्दी बनाया गया क्यों कि बाद की जांच पर वह भी अपराधी पाया गया ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ९११

५५:५६ के वित्तीय वर्ष में जोबनेर कृषि कॉलेज में सामान क्रय करने हेतु स्वीकृत धनराशि में से व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे.

(१) ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में जोबनेर कृषि कॉलेज में सामान खरीदने के लिये कुल कितने रु० स्वीकृत किये गये ?

(२) उक्त वर्ष में स्वीकृत रकम में से कितने रु० औजार व अन्य सामान खरीद किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री की ओर से)—(१) १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में जोबनेर कृषि कॉलेज में सामान खरीदने के लिये कुल ६,३२५) स्वीकृत किये गये।

(२) उक्त स्वीकृत धन राशि निम्न प्रकार के सामानों में करीब करीब खर्च कर दी गई:—

(क) बुक्स एन्ड पीरियोडिकल्स	१००० रु०
(ख) स्पोर्ट्स एन्ड गेम्स	५०० ,,
(ग) लेबोरेटरी चार्जेज़	४००० ,,
(घ) वर्क शॉप	१०० ,,
(ङ) सीड्स	७५ ,,
(च) खाद (मेन्योर)	१५० ,,
(छ) फीड एन्ड फोडर	५०० ,,
कुल	६,३२५ रु०

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बजट में जो रकम स्वीकृत की गई उस सारी रकम की स्वीकृत नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या— मैंने अर्ज किया न कि ६३२५, की स्वीकृति हुई और उतनी ही रकम का सामान खरीद लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—बजट में कितनी रकम स्वीकृत थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि ६३२५) की स्वीकृति थी और उसका सामान खरीदा।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में छःहजर रुपया ही स्वीकृत नहीं किये गये किन्तु कितने ही लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत किये गये थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो जानकारी दी है वह सही है और आपकी जानकारी सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में आवश्यक सामान नहीं खरीदने की वजह से जोबनेर कॉलेज को युनवर्सिटी ने स्थायी मान्यता नहीं दी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह अलग से सवाल पूछिये। जितनी रकम स्वीकृत हुई उतनी रकम का सामान खरीद लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जोबनेर कॉलेज के अधिकारियों ने यह मांग की थी कि बजट में जो स्वीकृत रकम है उसको खर्च किया जाय नहीं तो युनिवर्सिटी मान्यता नहीं देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो मैं आपको मालूम करके बता सकता हूँ कि अर्जी दी या नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जोबनेर कॉलेज का प्रतिनिधि मंडल मिला है और निवेदन किया है कि जो बजट में स्वीकृत धन राशि है उसको खर्च किया जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो सूचना चाही थी वह मैंने आपको बता दी और इस विषय में आगे कुछ नहीं कहना है।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपकी सूचना को चेलेन्ज करता हूं। क्या आप जांच करने के लिए तैयार हैं कि बजट में स्वीकृत धन राशि खर्च नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष—बजट आपको सर्कुलेट किया गया है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करियेगा।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

बजट के डिटेल्स तो दिए जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह—बजट में इतना ब्रेक अप थोड़े ही होता है।

श्री अध्यक्ष—आप देखिये उसमें जरूर होगा। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६१२

राजस्थान कैनाल का कुछ क्युसिक जल गंग कैनाल में डालकर गंग कैनाल का सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना

श्री हंसराज आर्य—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान कैनाल का कुछ क्युसिक पानी गंग कैनाल में डाल कर गंग कैनाल का सिंचाई एरिया बढाया जायेगा ? यदि हां, तो कितना पानी और उससे कितने एकड़ रकबा की सिंचाई होगी ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री की ओर से)—(अ) नहीं, राजस्थान गंग कैनाल को उसके अंतिम छोर (टेल) पर पार करेगी अतः इससे गंग कैनाल कमान्ड को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान कैनाल की एक शाखा गंग कैनाल की करणी जी डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर होकर निकलेगी जो रामसिंह नगर तहसील में गंग कैनाल से करीब डेढ़ लाख एकड़ अन-कमान्ड भूमि की सिंचाई करेगी।

गंग कैनाल क्षेत्र के ८६ प्रतिशत भाग में जो आगे ही काफी है अभी सिंचाई होती है, इसके अलावा इसके स्वयं में भी हरिके से फिरोजपुर फीडर के मार्ग से अधिक पानी मिल सकता है।

(ब) उत्तर प्रश्न १ का देखते हुए इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती।

(स) उत्तर प्रश्न १ का देखते हुए इस प्रश्न की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती।

श्री हंसराज आर्य—वह पानी कब तक मिलेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहर बन जायगी तब।

Page No 12

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या ६१३

अखडपुलिस चौकी (जिला भीलवाडा) में पुलिस हिरासत में लिए गये व्यक्ति की मृत्यु के कारणो की जांच

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की ओर से)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भीलवाड़ा जिले में अखड पुलिस चोकी में किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई ?

(ख) उक्त व्यक्ति को किस मुकदमे में हिरासत में लिया गया था ?

(ग) क्या सरकार ने उस व्यक्ति को मृत्यु के कारणों की जांच की है ? यदि हां, तो वे क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां ।

(ख) स्वर्गीय पाबूड़ा दरोगा को, सन् १६५५ के मुकदमे संख्या ३० के सम्बन्ध जो फूलिया थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा ३६४, ३६७ के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, दि० १०-२-५६ को पुलिस चोकी अखड में, जबकि वे पहले से ही बीमार थे, बुलाया गया था ।

(ग) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने मृत्यु के कारणो की जांच की तथा चौकी अखर के हैड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिलों को स्वर्गीय पाबूड़ा की मृत्यु का जिम्मेदार पाया । उन्होंने इस चौकी के आदमियों का सस्पेंड करने की तथा गजटेड अधिकारी द्वारा जांच करने की जिलाधीश से सिफारिश की है । शाहपुरा के डिप्टी सुपरिम्टेन्डेन्ट पुलिस को स्वयं इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है । यह मामले की छानबीन हो रही है ।

प्रश्न संख्या ६१४

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१५

भू-स्वामी बन्दियों द्वारा स्वय की चिकित्सा हेतु औषधियों पर उनके स्वयं के द्वारा किया गया व्यय

श्री तनसिंह—Will the Home Minister be pleased to state:—

[श्री तनसिंह]

(1) Is it a fact that the Bhooswami detenues were not given medical aid on Government cost ?

(2) How much expenditure was incurred by each such detenue on medicines ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) केवल ऐसी औषधियां नजरबन्द बन्दियों ने स्वयं कीमत से खरीदी थीं जिसके लिये वे उत्सुक थे और जो कि उनके मांग करने के समय जेलों के औषधालयों में मौजूद नहीं थीं, लेकिन उनकी नितान्त आवश्यकता नहीं समझी गई क्यों कि उनके बदले की दूसरी औषधियां उपलब्ध थीं।

(२) ३८ रु० ७ आ० नजरबंदियों ने औषधियों में खर्च किये।

श्री जवानसिंह—क्या यह खर्चा खाली टोंक जेल का है ?

श्री अध्यक्ष—डिटेन्यूज़ पर है।

श्री रामकिशोर व्यास—यह जयपुर जेल का भी है, उदयपुर का भी है और टोंक का भी। कुल पर इतना खर्चा हुआ है।

श्री भैंरूसिंह—ये कौन कौनसी दवाइयां थीं जो डिटेन्यूज़ ने मांगीं और आपने नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—Next Question.

प्रश्न संख्या ६१६

दिनांक १० से १५ अप्रेल, १९५६ तक राजस्थान में मृत्यु प्राप्त भूस्वामी बन्दी एवं भूरसिंह की पुलिस हिरासत में मृत्यु

रावत श्री शंभुसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) दि० १०-४-५६ से १५-४-५६ के दरमियान राजस्थान में किन किन भूस्वामी बन्दियों की किस किस बन्दी गृह में मृत्यु हुई ?

(२) उपरोक्त भूस्वामी बन्दियों में से अन्तर में मृत्यु होने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि दि० १० अप्रेल, सन् ५६ को पुलिस द्वारा जयपुर में भूस्वामी संघ के सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कितने थे और

[रावत श्री शंभुसिंह]

क्या श्री भूरसिंह निवासी मानथुरा, जिला जयपुर भी उनमें थे तथा पुलिस ने उनको कितने समय तक तो हवालात में रखा और बाद में कब कहां दाखिल किया ?

(४) क्या यह सत्य है कि श्री भूरसिंह को डाक्टरी देख रेख की आवश्यकता प्रतीत हुई थी ? यदि हां, तो क्यों और उनके शरीर के किस अंग को क्या क्या आघात पहुंचा और उपचार कहां और किन-किन तारीखों को हुआ ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि श्री भूरसिंह का बन्दी अवस्था में स्वर्गवास हो गया ? यदि हां, तो कब, कहां और किस अवस्था में ?

(६) बन्दीगृह में भूस्वामी संघ के किन किन व्यक्तियों को उन से मिलने दिया गया और कब कब व कहां कहां ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) तारीख १० से १५ अप्रेल, १९५६ तक किसी भूस्वामी सत्याग्रही बन्दी की मृत्यु नहीं हुई। ता. १६ अप्रेल, १९५६ को दो व्यक्ति श्री मोहनसिंह की अलवर जेल में तथा श्री भूरसिंह की जयपुर जेल में अवश्य मृत्यु हुई।

(२) अलवर जेल में श्री मोहनसिंह की मृत्यु होने का कारण दमा था।

(३) तारीख १०-४-५६ को ८३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। स्वर्गीय भूरसिंह भी इन्हीं व्यक्तियों में से एक थे। उनको सुबह पौने ग्यारह बजे गिरफ्तार किया गया और सीधा केन्द्रीय कारागार, जयपुर में भेजा गया। उसको हवालात में पुलिस द्वारा कुछ देर भी नहीं रक्खा गया।

(४) जी हां।

(५) स्वर्गीय भूरसिंह को ता १६-४-५६ को सुबह जेल अस्पताल में भरती किया गया क्यों कि उनको हल्का बुखार और क्रोनिक दमा था, उसी दिन तीसरे पहर को आघात से चले आये, उनके शरीर पर कोई आघात के चिन्ह नहीं थे।

(६) श्री भूरसिंह का स्वर्गवास, बन्दी अवस्था में, केन्द्रीय कारागार में ता० १६-४-५६ की शाम हुआ।

(७) स्वर्गीय भूरसिंह के साथ कई उनके साथी भी वहीं जेल में रह रहे थे। बाहर के किसी व्यक्ति ने उनसे मिलने की आज्ञा नहीं चाही।

श्री भैंरोसिंह— उत्तर बिल्कुल सुनाई नहीं दिये।

श्री शंभुसिंह—क्या भूरसिंह से मिलने के लिये भूस्वामियों की तरफ से प्रार्थनापत्र दिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष —मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त । इनको उत्तर सुनाई दिये और आपको नहीं सुनाई दिया।

श्री शंभुसिंह—भूरसिंह की मारपीट की गई उसकी जांच सरकार ने नहीं कराई तो क्या आयन्दा इसकी जांच कराने के लिये कमीशन बैठायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—मारपीट का क्या सवाल हुआ, वहां जेल में वह हजार आदमीयों के बीच में था।

श्री शंभुसिंह—भूरसिंह के शरीर पर जो आघात लगे क्या आप उसका फोटो देखने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कोई आघात नहीं लगे।

श्री शंभुसिंह – जब आघात नहीं लगे तो फोटो कहां से आता ? फोटो में आघात आये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—आघात हैं कहां ?

प्रश्न संख्या ६७१

अप्रेल, ५२ से जनवरी, ५५ तक सरकार द्वारा जब्त किये गये हथियारों के लाइसेंस

श्री भैंरूसिंह—मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर ठीक ढंग से दिया जाय, नहीं तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं बहुत ठीक ढंग से उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो ठीक ढंग से दिया ही जायगा।

श्री भैंरूसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भैरोंसिंह]

(क) अप्रेल, सन् ५२ से ३१ जनवरी, सन् ५५ तक किन किन व्यक्तियों को लाइसेन्स शुदा या रजिस्टर्ड शुदा कौन कौन से हथियार सरकार द्वारा जब्त किये गये और क्यों ?

(ख) जब्त शुदा हथियारों में से किन किन को कौनसे हथियार वापिस किये गये और क्यों।

(ग) जब्त किये गये हथियारों में से किन किन के हथियार सरकार द्वारा अंतिम रूप से जब्त किये जा चुके हैं ?

(घ) अंतिम रूप से जब्त किये गये हथियारों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—इस प्रश्न के उत्तर को इकट्ठा करने में बहुत समय और बहुत खर्च की जरूरत है। आपने चाहा यह है कि सन ५२ से ५५तक कितने लाइसेन्स जब्त किये गये। इसके लिये तमाम फाइलों को निकाल कर देखना पड़ेगा और छांटना पडेगा, इसमें काफी समय भी लगेगा और खर्चा भी करना होगा।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछे १ महीना हो गया और सरकार के पास कौन कौन से हथियार किस किस से जब्त किये इसकी लिस्ट होती है, इसमें १ महीना लग गया फिर भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रश्नों के बारे में इस प्रकार से असमर्थता प्रकट नहीं करना चाहिये। २-३ दिन में उत्तर देने के लिये आप इनको मजबूर करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास—यह सूचना इकट्ठी करना संभव नहीं है, आप ३ साल की इन्फरमेशन मांगते हैं। सभी फाइलें निकलवानी पड़ेगी और अलग अलग बातें छांटनी पड़ेगी इसमें काफी मुश्किल काम है।

श्री अध्यक्ष—आप कौनसी डिस्ट्रिक्ट का चाहते हैं ?

श्री भैरूंसिंह—मैं सारे राजस्थान के बारे में चाहता हूं। हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी सूची रहती है, उनको मंगा कर इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद आप यह सूचना इस कारण से नहीं देना चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जागीरदारों से जो हथियार छीने गये हैं उनकी संख्या ज्यादा है। न तो आप उनको जब्त करने का कारण बताना चाहते हैं और न संख्या बताना चाहते हैं। जानबूझकर इन्कार करने की कोशिश की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इनको जवाब देने के लिये मजबूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष? I will decide it.

Page No 17

श्री हिम्मतसिंह—जवाब तो मिलना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष —कल के सवाल ।

प्रश्न संख्या ८८७

राजस्थान के विभिन्न जिलों में खोले गये नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लोक्स विशेषतया जिला बूंदी में (९ मई, १९५६ का प्रश्न)

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५५ में नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लोक्स राजस्थान में किस किस जिले में खोले गये ?

(ख) जिला बूंदी में एन. ई. एस. ब्लोक किस तारीख को, किसके द्वारा और किस ग्राम में खोला गया ?

(ग) इस उद्घाटन में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(घ) उपरोक्त ब्लोक में अब तक कितना काम हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सन् १९५५ में जिन जिलों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा में खोले उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१. झालावाड़
२. बीकानेर
३. बूंदी
४. सीकर
५. झुन्झुन
६. भीलवाड़ा
७. चित्तौड़गढ़
८. उदयपुर
९. जयपर

(ख) बूंदी जिले में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २ अक्टूबर, सन् १९५५ को खोला गया । इसका उद्घाटन वित्त मन्त्री श्री ब्रजसुन्दर शर्मा द्वारा लाखेड़ा ग्राम में सम्पन्न हुआ ।

(ग) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के बजट में से उद्घाटन पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया ।

(घ) अब तक इस विस्तार सेवा खंड में जो कार्य हुआ है उसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची अनुपलब्ध)

महाराज श्री केसरीसिंह – उद्घाटन का पैसा कहां से दिया गया ?

श्री अध्यक्ष – Not clear.

श्री रामकिशोर व्यास—डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट भी देता है, कोओपरेशनवाले आते हैं तो वे भी देते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—कार्योंकी लिस्ट में बताया गया है कि एनिमल हस्बेन्डरी और हैल्थ का काम करवाया गया। क्या यह सच नहीं है कि वहां पर होस्पिटल और वेटरनरी डिस्पेन्सरी मौजूद हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ठीक है। यदि है तो क्या दिक्कत है ?

महाराज श्री केसरीसिंह—यदि वहां पर ये दोनों ही मौजूद हैं तो वहां खोलने से लोगों को क्या राहत मिल सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इनओकुलेशन और वेक्सीनेशन के बारे में लिखा है जगह जगह गांवों में जाकर किया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—समझ में नहीं आया क्या फरमाया आपने ?

श्री रामकिशोर व्यास—वेक्सीनेशन, इन्ओकुलेशन के लिये लिखा है, गांवों में जाकर करते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह काम वेटरनरी होस्पिटल में नहीं किया जा सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्यों नहीं कराया जा सकता। लेकिन गांवों में भी तो जाते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—एज्युकेशन के सिलसिले में बताया गया कि ३ प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल बनाया गया। ये कौन कोनसी स्कूलें हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं कि कौन कौनसी को कनवर्ट किया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—हर प्राइमरी स्कूल में कितने कितने लड़के पढ़ते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास कितने लड़के पढ़ते हैं, कितना फर्नीचर चाहिये, कितने कमरे हैं, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

Page No 19

महराज श्री केसरीसिंह् – अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल साफ प्रश्न है। मिडिल स्कूल कितने बनाये गये हैं और उसमें कितने कितने लड़के हैं, यह देखकर के ही तो बनाये होंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास – आपको यह शिकायतहै क्या कि मिडिल स्कूल्स क्यों बनाई गई ?

श्री भैंरूसिंह् – इनका मतलब यह है कि जहां आवश्यकता थी वहां नहीं बनाई गई और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां बनाई गई।

श्री रामकिशोर व्यास – आपको तो वहां की जानकारी नहीं है आप क्यों फरमाते हैं ?

महाराज श्री केसरीसिंह् – वाकई यही शिकायत है। जहां पहले ही से सुविधा है वहां और खोलदी गई और जहां पहले से सुविधा नहीं है वहां नहीं खोली गई।

श्री रामकिशोर व्यास – आप और सुझाव बताइये। कहां खोलना चाहते हैं और कहां से हटवाना चाहते हैं।

महाराज श्री केसरी सिंह् – कहने से कोई सार निकलेगा नहीं।

प्रश्न संख्या ८६१

राजस्थान के विभिन्न होस्पिटल्स में महिला डाक्टर्स एवं मिडवाइफरी नर्सें एवं उनियारा व अलीगढ़ डिस्पेन्सरीज़ में मिडवाइफरी नर्स का प्रबन्ध

रावराजा श्री सरदारसिंह्—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) राजस्थान में कौन २ से होस्पिटल और डिस्पेन्सरी में कितनी २ महिला डाक्टर्स और मिडवाइफरी नर्सें हैं ?

(ख) क्या उनियारा और अलीगढ़ डिस्पेन्सरी में कोई मिडवाइफरी नर्सें हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जब यह डिस्पेन्सरी ठिकाने की अधीनता में थी तब इसमें मिडवाइफरी नर्सों की पूर्ण व्यवस्था थी ?

(ङ) यदि हां, तो अब नहीं होने के कारण क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) सूची संलग्न है।

(सूची अनुपलब्ध)

Page No 20

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रावराज श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि उणियारा और अलीगढ़ में जच्चाखाना और डिस्पेन्सरी की इमारत बनी हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने इमारत के बारे में नहीं पूछा था। मिडवाइफरी नर्सों के बारे में पूछा था।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जब इमारत जच्चाखाने के लिये बनी हुई है तो जच्चाखाना भी होगा। आपने कहा नहीं। जब जच्चाखाना है तो मिडवाइफरी नर्सेज़ की भी आवश्यकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे मालूम नहीं है कि इमारत बनी हुई है या नहीं। यदि होगी तो देखने की कोशिश करूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या आप वहां पर मिडवाइफरी नर्स भेजने का इन्तजाम करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी नर्सेज़ हैं नहीं। होंगी तो इन्तजाम करूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—नर्सेज़ नहीं हैं तो ओर्डिनरी दाइयों का इन्तजाम करवा दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपको सारी लिस्ट दी है। बहुत से शफाखानों में दाइयें उपलब्ध नहीं हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—उणियारा में डिस्पेन्सरी है उसके बाद में जहां डिस्पेन्सरीज़ खुली हैं वहां दाइयां पहुंची हैं। उणियारे की डिपेन्सरी बहुत पुरानी है। मालपुरा जैसी ही उसकी स्थिति है। उणियारा में जो नर्स थी वह भी चली गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्या पता दाइयां और नर्स आप से क्यों नाराज होकर चली जाती हैं।

राजस्थान कृषि भू-धारण (संशोधन) विधेयक १९५५

(पूर्व क्रम से, विचार-विमर्श एंव पारित)

श्री अध्यक्ष—Yes, questions are over.

(विराम)

अब राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल , १९५५ पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके ऊपर इसे सार्वजनिक मत के लिये प्रसारित किये जाने का जो मोशन है उस पर अग्रेतर वाद विवाद ।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल जो प्रवर समिति ने विचार करने के पश्चात् इस सदन में प्रस्तुत किया है उसके निमित्त मैं एक प्रस्ताव कर यह मांग करता हूं कि इस बिल को दुबारा उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय , मैं आपके द्वारा सदन से पहले इस बात की क्षमा चाहूंगा कि मैं भी उस सेलेक्ट कमेटी का मेम्बर होने के कारण , यदि सेलेक्ट कमेटी की कार्यवाही से मुझे किसी प्रकार से असंतोष हो तो उसको व्यक्त करने के लिये मुझे नोट ऑफ डिसेन्ट देना चाहिये था, लेकिन मैं किसी कारण से नोट ऑफ डिसेंट नहीं दे सका और उन कारणों का आज मैं इस प्रस्ताव के द्वारा सदन को दिग्दर्शन करा कर सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को दुबारा उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

जहां तक बिल के स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स में बातें दी हुई हैं उन बातों को देखने से पता लगता है कि सरकार केवल क्लेरिकल मिस्टेक्स सुधारने के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था कर रही है। पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् जो जानकारी हुई है उस जानकारी के आधार पर मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस बिल को दुबारा उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रकार के वाद-विवाद में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था लेकिन मैं एक दो बातों को स्पष्ट कर दूं। एक तो यह है कि जैसा कि यह बिल है इसमें पारित हुए बिल में, केवल कुछ जो परिणामतः बातें रह गई थीं, उनका संशोधन करना था, दूसरा , माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे प्रवर समिति के सदस्य थे , उन्होने नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया , फिर भी इस बिल को उसी प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखना चाहते हैं फिर वह प्रस्ताव भी मेरे सामने नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये

[श्री अध्यक्ष]

जिस तरीके से बहस हो रही है , वह उचित नहीं है। जैसा यह बिल है उसके अनुसार मैं स्वयं करे क्शन्स कर सकता था पर मैंने स्वयं नहीं किया ।

इस प्रकार इस पर लम्बी बहस होगी तो आयन्दा किसी बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या नहीं किया जाय, इस पर ट्रेजरी बैंचेज़ को सोचने के लिए कहा जायगा। प्रवर समिति के सुपुर्द करने का इस सदन को लाभ नहीं मिलता है, सदन के समय की बचत नहीं होती, उतना ही समय लगता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं दूंगा ।

अगर श्री भैरोंसिंह जी कहना चाहते हैं तो वे श्री मानसिंह महार का जो प्रस्ताव है उस पर बोलें । इसके अतिरिक्त कोई मोशन मूव करने की मैं आज्ञा प्रदान नहीं करता ।

श्री भैंरोंसिंह—मैं स्पष्टीकरण के लिये सपोर्ट करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—यह बात संसदीय परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है। जो माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्य हों , किसी प्रकार का नोट ओफ डिसेन्ट नहीं दें और फिर स्पष्टीकरण के नाम पर उसका विरोध करें तो यह स्वस्थ संसदीय परम्पराएं नहीं रहेंगी। मैं इसके लिये आज्ञा नहीं देता ।

श्री भैंरोंसिंह—यह सब कोन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेन्ट्स थे....

श्री अध्यक्ष—अब यह हाउस तय करेगा । हाउस इसको पास करेगा । आप अगर प्रवर समिति के सदस्य थे तो आपको अपने विचारों का पूर्ण योग देना चाहिये था। वह नहीं दिया । अगर कोई बात आपकी विचार धारा के विपरीत थी तो आप नोट ओफ डिसेंट देते। नोट ओफ डिसेन्ट नहीं दिया और अब उसके विपरीत बोलना चाहते हैं, यह सारा estoppel आपके खिलाफ हो जाता है ।

यह स्वस्थ संसदीय परम्परा के खिलाफ है । पहले तो आपने अपने विचारों का पूर्ण योग नहीं दिया और अब इस समय अपनी विचारधारा उसके विपरीत रखना चाहते हैं।

श्री भैंरोंसिंह—मैं उसके विपरीत नहीं कहता। सिलेक्ट कमेटी ने जब रिपोर्ट पेश की, उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिनकी वजह से यह अमेंडमेंट लाना आवश्यक हो गया और यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो गया ।

श्री अध्यक्ष—उससे विपरीत बात का अमेंडमेंट हो तो आप बोल सकते हैं, इसके विपरीत अमेंडमेंट नहीं है तो जनरल डिस्कशन के रूप में मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री भैंरोंसिंह—मैंने विपरीत अमेंडमेंट किया है . . .

श्री अध्यक्ष—No amendments, if the Hon'ble Member has not given a dissenting note. This goes against parliamentary practice. The Hon'ble Member had every right to give his contribution in the Select Committee. Now it goes against parliamentary practice, because the Hon'ble Member was a member of the Select Committee and now he wants it to refer again to that very Committee without giving a dissent note.

श्री भैंरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज कर रहा हूं कि नोट ओफ डिसेन्ट मैंने नहीं दिया, पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् जो डेवेलपमेन्ट्स हुए हैं उन पर तो अपने विचार व्यक्त करूं।

श्री अध्यक्ष—I can give you three to four minutes.

श्री भैंरोंसिंह—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो डेवेलपमेंन्ट्स हुए हैं, उन पर तो अपने विचार प्रकट करूं ?

श्री अध्यक्ष—No, No. After all we will have to maintain certain standard of parliamentary democracy.

श्री भैंरूंसिंह—यह तो ठीक है साहब, लेकिन . . .

श्री अध्यक्ष—I do not accept that version.

श्री भैंरोंसिंह—एक मिनिट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष—I have given you three minutes. Beyond that I am not going to give you any time.

श्री भैंरोंसिंह—फिर चाहे ४ मिनिट न दें, पर जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है उस पर स्पष्टीकरण करने के लिये मुझे दो मिनिट का समय दें।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member can say anything within that time. He cannot put a motion.

श्री भैंरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मैं यह अर्ज कर रहा था कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद ऐसे डेवलपमेंट्स हुए एडिशनल पॉवर्स और इजेक्टमेंट ओर टिनेन्ट्स, इस सम्बन्ध को

Page No 24

[श्री भैरोंसिंह]

लेकर इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न किये थे, उन प्रश्नों के उत्तर मिले, उससे मैंने आवश्यक समझा कि यदि नोट आफ डिसेंट पेश नहीं भी किया है तो भी जिस समय इस बिल की रिपर्ट सदन में पेश हो तो उस समय इसका विरोध करना चाहिये। उस आधार पर मैंने इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें कोन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स हैं, क्लेरिकल मिस्टेक को दूर करने के लिये यह है पर सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के ड्राफ्ट का इस पर जो असर पड़ता है उसके सम्बन्ध में इसमें जो कुछ भी व्यवस्था की गई है और वहां इस बिल की मूल भावना के विपरीत सी बातें रहती हैं, इन चीजों की ओर सदन का ध्यान दिलाने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस को वापिस उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं दुबारा अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि मुझे अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—I am very sorry.

श्री भैरोंसिंह—मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—दो तीन मिनिट कहिये। The Hon'ble Member is wasting his own time.

श्री भैरोंसिंह—दो तीन मिनिट में तो कुछ कह नहीं सकता, इतनी इम्पोर्टेन्ट बात है, मुझे कहने की इजाजत देना है तो पूरा समय दीजिये !

श्री अध्यक्ष—I have given you time and if you do not what to say, then come to order.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, कल श्री मानसिंह महार ने जो इस बिल को जनमत संग्रह के लिये प्रसारित करने के लिये जो प्रस्ताव किया था उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष, जहां तक राजस्थान काश्तकारी विधेयक का प्रश्न है और उसमें जो जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसके बारे में इस सदन में काफी चर्चा हुई है। लेकिन काफी चर्चा होने के बावजूद भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा था कि किसी भी कानून को तकाजे में पास करने में खामियें रह जाती हैं और कमियें रहने के कारण सरकार को बारबार संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने पड़ते हैं और सारे लेजिस्लेशन के कनवेन्शन के खिलाफ चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिये इसको भी इस समय तकाजे में पास कराने के लिये रखा गया है और इसमें भी बहुत सी गलतियें रह गई हैं। यदि इस प्रकार से गलतियें रहती हैं और किसी कारण से इसको सरकार सिलेक्ट कमेटी के पास भी नहीं भेजती है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई ऐसा मुद्दा न रह जाय जिससे जनता को परेशानी हो, इसलिये जनता की राय ली जानी चाहिये।

[श्री भैंरू सिंह]

इसमें जागीरदारों और काश्तकारों में बहुत डिसक्रिमीनेशन रखा गया है। जागीरदार भी खेती करता है और साधारण काश्तकार भी खेती करता है। इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिये।

जागीर रिजम्प्शन एक्ट में हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कुछ शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक कोई जमीन उसके पास नहीं हों तो वह खुदकाश्त के लिये प्रार्थना कर सकता है। लेकिन इस टीनेन्सी बिल में जो संशोधन आया है इसमें यह है कि वे सारे के सारे जागीरदार जिनके पास ३० एकड़ से कम जमीन है दरख्वास्त दे सकेंगे। एक तरफ तो आपने यह बन्दिश लगादी है और दूसरी तरफ जब किसी काश्तकार को बेदखल करने का प्रश्न आता है तो उस काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता है जिसकी आमदनी १२०० रु० से कम हो। जागीरदारों के लिये तो आपने एक ३० एकड़ की सीमा रखदी और काश्तकारों के लिये १२०० रु० रखे हैं। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का डिसक्रिमीनेशन क्यों रखा जा रहा है? इस डिसक्रिमिनेशन से तो यही पाया जाता है कि जागीरदारों को क्रश किया जा रहा है। जागीरदार भी काश्तकारों की श्रेणी में हो आते हैं और वह भी अपना जीवन काश्त करके बिताते हैं। काश्तकार और लैंन्ड लोर्ड में आपने इतना फर्क रखा है। ३० एकड़ और १२०० रु० की आमदनी का फर्क बहुत होता है! जागीरदार के पास ३० एकड़ भूमि हो और उसकी आमदनी चाहे १२०० रु० या १६०० रु० हो या नहीं मगर उस पर यह पाबन्दी लगाई जाती है कि ३० एकड़ जमीन होनी चाहिये। मगर दूसरी तरफ काश्तकार पर कोई पाबन्दी नहीं उसको इस तरह की रियायत दी गई है कि जब तक उसकी जमीन से १२०० रु० आमदनी नहीं होती है उसको बेदखल नहीं किया जासकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप फन्डामेन्टल सिद्धान्तों की तरफ ध्यान दें। ३० एकड़ में कितनी आमदनी होगी? यह डिसक्रिमीनेशन ३० एकड़ और १२०० रूपयों से है तो मैं यह कहूंगा कि यह कोन्सटीट्यूशन के सिद्धान्तों के अगेन्स्ट ही नहीं लेकिन नैतिक आधार पर बनने वाले जितने भी कानून हैं उनकी मूल भावना पर आघात करना है। केवल जागीरदारों पर यह पाबन्दी इसलिये कि लगान देते नहीं और स्वयं भोग करते हैं। इस सूरत में काश्तकारों को सुविधाएं दी जानी चाहिये और इसमें किसी प्रकार का डिफरेन्स नहीं रहना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इससे केवल आड ली है प्लानिंग कमिशन की। उसकी रिपोर्ट में ऐसी व्यवस्था की है कि हर काश्तकार के लिये ऐसी व्यवस्था करदे जिसकी आमदनी १२०० रु० हो। मगर मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार ने इसका अर्थ गलत लगाया और इसका इन्टरप्रिटेशन उसी पुरानी दकियानूसी व्यवस्था जो पहले थी, उस पर लगाया। जब जागीरदारी सिस्टम था तो उसकी आड लेकर ३० एकड़ कर दिया। मैं यह कहूंगा कि अगर किसी जागीरदार को जैसलमेर में ३० एकड़ जमीन आप देंगे तो वहां पर ३० एकड़ जमीन का अर्थ क्या होगा? बहुत कम आमदनी होगी। उसके पास क्या बचेगा? मैं समझता हूं कि उससे उसकी आमदनी ५ रुपये माहवार होगी। जागीरदार यदि थोडी सी जमीन अपने जीवन निर्वाह के लिये लेना चाहता है तो उसके लिये यह

[श्री भैरूंसिंह]

आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वह ३० एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं ले सकता। मैं यहां पर जो बातें कह रहा हूं इसमें आप यह न समझें कि मैं कोई जागीरदारों का पक्ष ले रहा हूं या उनका वकील होकर कह रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि भूमि उनके जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र है। काश्तकार भी खेती करते हैं और जागीरदार भी खेती करते हैं। मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का डिसक्रिमीनेशन किसी तरह से उचित नहीं है और इसलिये इसको उचित समझ कर रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। इसलिये इसको जनमत के लिये भेज दिया जाना चाहिये और जनता की राय ले लेनी चाहिये कि जनता इसको अच्छा समझती है क्या? बहुत सी बातें इसमें ऐसी रह गई हैं जो इस बिल को पब्लिक मत के लिये बाध्य करती हैं। दूसरी बात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डवलपमेंट के बारे में है। प्लानिंग कमीशन ने इसके लिये मांग की और ग्रीवेन्स की।

जमीन के लिये इस संबन्ध में ऐसे नियम बने हुए हैं कि उन नियमों के अनुसार जमीन की प्रोड्यूस को बढ़ाई जावे, टिनेन्ट के लिये यह ओब्लीगेट्री रखा गया है। मगर आजकल कई काश्तकार किसान यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जमीन हो। चाहे उसमें पैदावार कितनी ही क्यों न हो। वे लोग यही चाहते हैं कि एक दफे जमीन पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लें। आमतौर पर इस प्रकार का एक रिवाज सा चला है कि जितनी जमीन ज्यादा दबा सकें दबाली जावे। इस दृष्टिकोण से जमीन ली जाती है। इसलिये हमें थो लेजिस्लेचर यह ओब्लीगेट्री रखना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा जमीन की प्रोड्यूश को बढ़ाई जावे इसके लिये कुछ कन्डीशन प्रिस्क्राइब्ड की जानी चाहिये और काश्तकारों को एग्रीकल्चर मैन्योर, एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट और सीड आदि लोगों को तकाबी के रूप में देने की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन प्लानिंग कमीशन की तरफ से जो इस बारे में सुझाव आये हैं और सुधार की गज से आयें हैं, उनमें इसका अभाव है। सरकार चाहती है कि प्रोड्यूस बढ़े किसान चाहता है कि प्रोड्यूस बढ़े।

यह एक बहुत जरूरी बिल है। इसलिये इसको जनता की राय के लिये भेजना बहुत जरूरी है। जिससे यह पता लग जाएगा कि सरकार से काश्तकार किस प्रकार की व्यवस्था की मांग कर सकते हैं और सरकार उनको किस हद तक राहत दे सकती है।

तीसरा इश्यू एग्रीकल्चर के बारे में है। इस बातको लेकर प्लानिंग कमीशन ने विशेष व्यवस्था की थी। एग्रीकल्चर लेबर का एक्सप्लोइटेशन ज्यादा होगा उसको रोकने के लिये टिनेन्सी लॉ में कोई व्यवस्था नहीं, जिसका होना आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज सदन में टिनेन्सी बिल विचारार्थ ले रहे हैं ...

(घंटी)

Page No 27

श्री अध्यक्ष — आप वाइन्ड अप कीजिये ।

श्री भैरूसिंह - (जारी) अगर इसको जनमत के लिये नहीं भेजा जावेगा तो इससे लोगों को बहुत नुकसान होगा । मैं तो यह कहूंगा कि आप जागीरदारों को इस एग्रीकल्चर लॉ और टिनेन्सी को लेकर उन लोगों को जमीन से वंचित रखना चाहते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । इसलिये इसमें जनता की राय जानना चाहिये और जनता को अपनी राय देने का मौका दिया जाना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष, मैने पहले कहा था कि खुदकाश्त के लिये लोगों को बेदखल करने के लिये प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर आया कि अब तक ५ वर्षों में किसी भी व्यक्ति को (काश्तकार को) बेदखल नहीं किया गया । इसलिये यह किया गया कि जागीरदार के पास जमीन है । जब इस प्रश्न का उत्तर आया, तब जितने भी प्रोविजन्स हैं उनके मुगालतों का पता चला कि जो इजेक्टमेंट का प्रोविजन रखा है वह खोटा है और इससे जागीरदारों को हर प्रकार से बदनाम करते हैं ।

इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के एडिश्नल प्रोविजन्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिनसे कि जागीरदारों को उन के लीगल राइट्स से डीबार होना पड़े, इसलिये ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि खुदकाश्त देने के संबन्ध में, टीनेन्ट को फेसेलिटीज के संबन्ध में, हमको सब काश्तकारों की राय लेनी चाहिये और इसके लिये इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित करना चाहिये ।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, जमवा रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा कि इस बिल को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—उनका कौन सा प्रस्ताव ?

रावत श्री शम्भुसिंह—कल जैसा कि वे जनमत जानने के लिये इसको प्रसारित किया जाय इस संबन्ध में भाषण कर रहे थे, उस सिद्धान्त को लेकर मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष, यह टिनेन्सी बिल जो है इसका असर तमाम राजस्थान व्यापी होने वाला है ।इसलिए इस बिल को संशोधन कर हमें इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए कि इसमें किसी वर्ग विशेष को कोई आपत्ति हो या इसका जो सर्व राजस्थान व्यापी प्रभाव होने वाला है उस सिद्धांत में किसी भी प्रकार बाधा पहुंचे और जहां यह किसी खास उद्देश्य को लेकर और उस प्राप्ति के वास्ते किसी महत्वाकांक्षा को लेकर बनाया जाने वाला बिल सिद्ध नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी एक्ट जो ओरिजनल इस सदन द्वारा पास हुआ था उस पर काफी वाद विवाद हुए और वह बिल पास हो गया और उसने कानूनी रूप ग्रहण कर लिया । और

[रावत श्री शम्भुसिंह]

अब यह संशोधन इस बिल में किया जा रहा है तो यह नहीं होना चाहिए। हम संशोधन के द्वारा इब्तदाई बिल को और ज्यादा कोम्पलीकेटेड कर देना और जिससे बार बार संशोधन लाने की आवश्यकता प्रतीत हो। इस वास्ते अगर संशोधन किया जाना आवश्यक है तो वहां तमाम राजस्थान के किसानों को सुविधा देने का प्रश्न है और जहां इसके राजस्थान व्यापी प्रभाव का प्रश्न है ऐसे मुद्दों को लेकर संशोधन किया जाना आवश्यक है और किया जाना चाहिए। लेकिन इस बिल को देखने से इस बिल से जो गन्ध आती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशेष वर्ग के साथ विशेष व्यवहार के निमित्त इस बिल में संशोधन किया जा रहा है तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का संशोधन लानें से क्या होगा...

श्री **दामोदरलाल व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि उनका कौन से अमेन्डमेन्ट से मतलब है। Which clause of the Bill ?

श्री **अध्यक्ष**—सारे बिल से ही है।

रावत श्री शम्भु सिंह— (जारी रखते हुए) मैं जनरल कह रहा हूं। वैसे इस बिल में रेस्टोरेशन ऑफ खातेदारी राइट्स को ही ले लीजिये। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई...

श्री **अध्यक्ष**—ये बातें तो आप क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन हो उस समय कहिये अभी तो आप जनरल वाद विवाद कर रहे हैं।

रावत श्री शंभुसिंह-(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल बातें ही कह रहा हूं। हमारे यहां से बिल जो पास होते हैं जब वे कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो भी उसमें जल्दी से जल्दी संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अव्वल तो संशोधन इस प्रकार के आते हैं कि वे कोम्पलीकेटेड होते हैं और उनके इम्पलीमेन्टेशन में मुश्किलात पैदा होती हैं और उस प्रकार जब वह कानूनी रूप ग्रहण कर लेता है और जब वे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास भेजे जाते हैं एप्रूवल के लिये तो वहां से उसमें चेन्जेज के इन्स्ट्रक्शन्स आते हैं। मुझे अच्छी तरह से विदित है कि यहां से ऐसे कई बिल हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास भेजें गये वहां से यह आदेश मिला कि इनको फिर से इस प्रकार संशोधन किया जाय, इस तरह से दुबारा सरकार को संशोधन के आदेश दिये गये। तो मैं यह चाहता हूं कि हम हमारे संशोधन इस प्रकार के बनाकर के भेजें ताकि उनके इम्पलीमेन्टेशन में किसी प्रकार की असुविधा पैदा न हो। वर्ना बार बार इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता होगी, यह राजस्थान विधान सभा केलिये भी अच्छी बात नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष, इस वास्ते

[रावत श्री शंभूसिंह]

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि, इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। यह बड़ा आवश्यक बिल है और इस बिल का संबन्ध तमाम राजस्थान की जनता से है। इस बिल के ऊपर सिलेक्ट कमेटी ने जरूर विचार किया है जैसा कि कल जमवा राम-गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें ऐसे प्रोवीजन्स रखे हुए हैं जिनमें किसानों और लैन्ड होल्डर्स के दरमियान मुकदमें बाज़ी बढ़ेगी और वकीलों को इसमें अपनी टांग अड़ाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकेगा। इस वास्ते यह जरूरी है कि किसानों में मुकदमें बाजी ज्यादा न बढ़े, इसलिये यह बिल किसानों का वास्तविक हित करने वाला बिल साबित हो सके इसलिए हम इसे जल्दबाजी में पास कर देते हैं तो जनता की राय नहीं ले पायेंगे फिर वही होगा कि जनता जिस राय को व्यक्त करके इस बिल को राजस्थान व्यापी हितैषी बिल बना सके वह बात नहीं हो पायेगी इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि इस बिल को जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रस्ताव जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। वैसे तो न कोई ग्राउन्ड न कोई दलील इस पक्ष में प्रस्ताव क महोदय ने दी और न उनका समर्थन करने वाले ही किसी सदस्य ने दी। जनरल जो बातें कही गई वह यह कि इस बिल में काश्तकारों और जागीरदारों के बीच डिसक्रीमिनेशन किया गया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारे अमेंडमेंट बिल को मुलाहिजा कीजिये, आप इसमें ६९ परसेंट ऐसे संशोधन देखेंगे जो कोन्सीक्वेशियल हैं। जिस टिनेन्सी बिल को काफी समय लगाकर सदन ने पास किया उसमें कई प्रकार क्लेरिकल मिस्टेक्स कुछ अमीशन्स रह गये कुछ कोन्सीक्वेशियल चेन्जेज़ रह गये थे जिनके कारण यह अमेंडमेंट बिल लाना अनिवार्य होगया। इसमें सिलेक्ट कमेटी ने सुधार किया, परिवर्तन किया और जो सदन के सामने अमेन्डेड बिल है वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित है। उस समय इस प्रकार के कोन्सी-क्वेन्शल अमेन्डमेन्ट जो होने चाहिये थे वह नहीं हो सके। मैं नहीं समझ सकता ऐसे कौनसे इस बिल में प्रोवीजन्स हैं जिनके लिए यह कहा जाता है कि इसमें जागीरदारों और काश्तकारों के बीच डिसक्रीमिनेशन किया गया है या खुदकाश्त की भूमि पर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन की हो। माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि दफा १८० में जहां खुदकाश्त भूमि के इजेक्टमेंट का प्रश्न है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, केवल उसकी भाषा दुरुस्त की गई और उसमें किसी प्रकार सबस्टेन्सिव अमेन्डमेंट नहीं किया गया। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं महज यह टिनेन्सी अमेन्डमेंट बिल इसीलिए इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय यह वाजिब नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई भी ग्राउन्ड्स या रीज़न्स वेलिड नहीं दिये गए। किसी ने वेलिड रीज़न्स नहीं दिये इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस बिल को कन्सीडरेशन के लिये लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी संशोधन विधेयक, १९५५ को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी संशोधन विधेयक, १९५६, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित है, विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

Now clause by clause consideration. खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ३ और ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

Page No 31

[श्री अध्यक्ष]

खंड ३ और ४ विधेयक के अंग बने |

(विराम)

खन्ड ५

श्री शम्भु सिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ पर निवेदन करना चाहता हूं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे तालाब कि जिनमें गांव के लोगों को पीने के वास्ते पानी लाना पड़ता है उसके कैचमेंट एरिया में जमीन आती हो उसको यदि कलेक्टर मुनासिब समझे तो खातेदारी राइट के वास्ते नहीं दे सकेगा। ऐसी कुछ व्यवस्था नजर आती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक खातेदारी राइट्स प्राप्त करने का या जिनको ऑलरेडी खातेदारी राइट्स प्राप्त हैं उनके उपभोग करने का प्रश्न है यह क्लाज़ कुछ अनुचित सी प्रतीत होती है।

ऐसे तालाब कि जिनमें कुछ जमीन से होकर पानी गुजरता है, जिनमें किसान का खेत हो तो पानी को गुज़रने देने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। किसान यह कदापि पसन्द नहीं करेगा कि पानी सारा का सारा उसके खेत में भर जावे, बल्कि वह तो अपने खेत से पानी को निकालने की कोशिश करेगा और तालाब में पानी लाने में किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था करके किसान को खातेदारी राइट या जिन जागीरदारों की इन तालाबों में जमीन है और वे खुदकाश्त की टेन्योर से उसका उपयोग कर रहे हैं और अब वे खातेदारी राइट में आने वाले हैं तो ऐसी जमीन को भी खातेदारी राइट में लेने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये, क्यों कि सवाल तो केवल तालाबों में पानी आने का है। तो पानी तो इस वक्त भी आता रहा है और मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था तो केवल उन्हीं गांवों के लिये की गई मालूम होती है जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं, बीकानेर डिविजन में हैं। कई गांव हैं जिन गांवों के लिये पानी को ऐसे टांकों में या तालाबों में इकट्ठा कर लेते हैं। मैं समझता हूं यह मामूली तालाबों पर लागू नहीं होना चाहिये। टांके ज्यादा बड़े तो नहीं होते और उन पर खेत भी इतने नहीं होते, मेरे खयाल से। न उन टांकों के पेट में खेत होते हैं तो इसलिये यह आवश्यक सी धारा है। ये टांके मारवाड में पक्के बनाये जाते हैं और इसके चारों तरफ भी पक्की मसनरी का काम होता है और बरसाती पानी उसमें इकट्ठा होकर आता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। मगर इससे यह भय है कि अन्य तालाबों की जिनकी जमीन में खेत होते हैं उन पर इसका उपयोग किया जाकर और इसको दुरुपयोग में न लिया जावे, इसलिये यह विलोपित हो जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जैसा माननीय सदस्य ने खुद महसूस किया कि राजस्थान में जोधपुर बीकानेर डिविजन में ही ऐसे स्थान हैं जहां पानी के लिये टांके और तालाब बने हैं और लोग अपने पीने के पानी के लिये उन पर ही निर्भर करते हैं। तो

[श्री दामोदरलाल व्यास]

ऐसी स्थिति में अगर उस जमीन में जिसको कि हम कैचमैंट एरिया कहें तो उसमें भी खातेदारी राइट्स दे देते हैं तो वे तमाम हकूक खातेदारी के वास्ते हो सकते हैं और वे अपनी लैण्ड को इम्प्रूवमेन्ट के नाम पर पानी को रोक सकते हैं। साधारण जनता को इससे असाधारण असुविधा का सामना करना पड़ेगा इसलिये यह अमेन्डमेन्ट जो रक्खा है वह बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य खुद महसूस करते हैं कि यह जोधपुर और बीकानेर डिविजन में तो खास तौर से बहुत से टैंक और तालाब हैं। मैं नहीं समझता कि फिर किसका विरोध किया जाता है, इसलिये इसको पास किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खन्ड ५ में श्री शम्भूसिंहजी ने जो संशोधन रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ६, ७ व ८

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६, ७ और ८ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड ६, ७ और ८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड ६, श्री मानसिंह महार।

[श्री अध्यक्ष]

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खंण्ड १० से २०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, और २० स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

खण्ड १० से खण्ड २० विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

खण्ड २१ से ३३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

खण्ड २१ से ३३ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

खण्ड ३४ से ३८

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३४ ३५, ३६, ३७ व ३८ स्वीकार किये जावें ।

Page No 34

श्री दामोदरलाल व्यास—खण्ड ३८ में संशोधन है साहब।

श्री अध्यक्ष—I am sorry.

प्रश्न यह है कि खण्ड ३४ से ३७ तक स्वीकार किए जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड ३४ से ३७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड ३८, श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास—आपकी आज्ञा से मैं एक अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ ३८ में पेश कर रहा हूं। मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है कि क्लॉज़ ३८ के सब क्लॉज़ (डी) के प्रोविज़ो के अन्दर यह निम्नलिखित शब्द हटा दिये जावें :

"and unless such land is in excess of the minimum area prescribed for the purpose under clause (a)."

These words shall be omitted.

माननीय अध्यक्ष, इन शब्दों को ओमिट करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमने जागीरदार समस्या और उनके खुदकाश्त की समस्या को आपसी बातचीत से तय किया था और आपसी बातचीत से जो निर्णय हुए थे उसके विरुद्ध यह प्रोविजन जाता है। इसलिए मैं इसको डिलीट करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री शम्भुसिंह से) क्लाज़ ३८ पर आपके एमेंडमेंट्स हैं।

श्री शम्भुसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—कोई भी अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहते। संशोधन या तो आपके थे या मानसिंहजी के।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—एक भैरोंसिंहजी का भी था।

श्री अध्यक्ष—भैरोंसिंह जी का कौन सा है ?

Page No 35

श्री हिम्मतसिंह—खण्ड ३८ पर है।

श्री अध्यक्ष—हां, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—यह एमेंडमेंट इन टाइम नहीं आया था। यह जो मूव करना चाहते हैं सेकन्ड १८० ए का वह इसमें एड करना चाहते हैं : Whether this amendment was received in time ?

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Minister will not press it. Let him have his say and if it dose not suit the Treasury Benches it will go.

श्री दामोदरलाल व्यास—यह रिलेवेन्ट नहीं है। It is not in the purview of this amendment Bill and this should not be allowed.

श्री अध्यक्ष—After this clause is passed, we will see to this.

श्री दामोदरलाल व्यास—After 38 is passed.

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३८ में मेरा अमेंटमेंट है वह इस क्लॉज़ से काफी कनेक्टेड है। प्रथम तो यह है कि प्रथम पंक्ति में 'धारा' के स्थान पर 'धाराओं' शब्द निर्दिष्ट किया जाय और निर्दिष्ट किया....

श्री दामोदरलाल व्यास—That will be a consequential amendment.

श्री अध्यक्ष—वह मन्जूर करते हैं आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कौन सा ?

श्री अध्यक्ष—खण्ड ३८ की प्रथम पंक्ति में 'धारा' के बजाय 'धाराओं' करने का। १८० ए तो बाद में लिया जायगा। पहला तो धारा १८० के ऊपर है। खण्ड ३८ की प्रथम पंक्ति में।

श्री भैरूंसिंह—वह इस सूरत में है कि खण्ड १८० ए मन्जूर होता है तो वह एमेंडमेंट आयेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—That comes only after we pass 180 A.

श्री भैरूंसिंह—बाद में दिक्कत आयेगी।

Page No 36

श्री अध्यक्ष—Those powers rest in me.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलालजी व्यास ने खण्ड ३८ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय। यह 'एण्ड अनलेस सच' इत्यादि के डिलीशन के बारे में है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३८ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३६

धारा १८० के बारे में है। Briefly. Brivity is the soul of wit.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा इसमें यह ऑब्जेक्शन है कि एक तो यह टाइम पर नहीं आया है संशोधन इसलिए इसको नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि this is not within the scope of this Bill.

और यह इर्रेलेवेन्ट भी है और टाइम पर भी नहीं आया है, इसलिए this should not be allowed.

श्री अध्यक्ष—Let him have his say and we will have our own way.

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं नहीं चाहता, वह चाहें जो कहें कम से कम उन्हें काफी टाइम था, they should have been sent in time. रेलेवेन्ट भी नहीं है और it is not within the scope of this bill.

श्री अध्यक्ष—I have pointed it out already and I think the Hon'ble Member who is now going to move the amendment will keep the time in view and he will confine himself within the scope of this Bill. I think the Hon'ble Minister will not press for it.

श्री दामोदरलाल व्यास—As you please, Sir.

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उन्होंने यह कहा कि प्रसंग में नहीं है इसलिए...

श्री अध्यक्ष—It is no use. I have already allowed it.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन है कि मूल एक्ट में १८० ए नई जोड़ी जाय:

"180 A. Additional provisions for ejectment of Khatedar tenants for the allotment of Khudkhasta to landless Jagirdars. A Khatedar tenant shall also be liable, on application, to ejectment on any of the following grounds:-

(a) That the tenant was not a tenant of any type for a continuous period of five years immediately preceding the agricultrual year 1948-49 and no personal manual labour is contributed.

(b) That the tenant is paying income-tax under the Indian Income Tax Act:

Provided that this Section shall not apply to Jagirdars whose Jagirs have been resumed or are liable to be resumed under the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, 1952".

माननीय अध्यक्ष, आज तक जो कई बेदखली की चर्चाएं आई हैं तो बेदखली को रोकने के लिए इस सदन में सब की ओर से हर प्रकार की चर्चा होती है और जहां तक बहुमत का प्रश्न है सभी सदस्य इस मत के हैं कि हर कीमत के ऊपर बेदखली को रोका जाय। लेकिन इस बेदखली के साथ २ कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं कि जिन प्रश्नों को लेकर यदि बेदखली के प्रोवीज़न्स हम स्वीकार भी कर लें तो उस भावना को जिस भावना के कारण हम टिनेन्ट्स और एग्रिकल्चर प्रोडक्ट का विकास चाहते हैं वे सारी भावनाएं एक प्रकार से विकास हुई जैसी हो सकेंगी।

मैंने अपना जो संशोधन पहले प्रस्तुत किया है वह संशोधन यह है कि सन् ४८-४९ से पहले जिन लोगों ने लगातार ५ वर्ष तक कोई काश्त नहीं की उन लोगों को यदि सन् ४८ के बाद किसी न किसी प्रकार से जमीन मिल गई और उस जमीन पर आज भी परसनल मेनुअल लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उन लोगों की बेदखली की जाकर वह जमीन मिलनी चाहिए लैन्डलेस भूस्वामियों को। उस जमीन पर उन भूस्वामियों को आबाद किया जाय। माननीय अध्यक्ष, आज से कुछ दिन पूर्व इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के द्वारा यह जानकारी चाही गई थी कि जिन लोगों को फॉरेस्ट लैन्ड्स को रेवेन्यू लैन्ड्स में ट्रान्सफर किया जा रहा खेती के लिए जो जमीन दी गई है और इसमें आज तक उन व्यक्तियों की तरफ से कभी भी पर्सनल मेनुअल

[श्री भैरूं सिंह]

लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। लेकिन सरकार की ओर से यह जानकारी दी जा सकती है कि सरकार अभी तक इन बातों से पूर्णतया परिचित नहीं है, इसलिए उत्तर देने की परिस्थिति में नहीं होने के कारण टालमटोल करके स्थिति को एक दूसरी ओर ले जाने की चेष्टा की। माननीय अध्यक्ष, एग्रीकल्चर और टिनेन्ट्स का जहां तक प्रश्न है आज सब लोगों की धारणा यह बनती जा रही है और वह धारणा यह है कि खेती के लिए जो श्रम करे वही व्यक्ति उस श्रम का फायदा उठाये। हमने इस स्थिति को एक बार नहीं अनेक बार स्वीकार करके लागू करने की चेष्टा की है, लेकिन यह स्थिति जिस समय लागू करने की बात की जाती है उस समय लागू करने के लिए लोगों के समक्ष जागीर नाम की एक संस्था ही रहती है। वह चाहते हैं कि जो जागीरदार खेती करे उस खेती के अन्दर पर्सनल मेनुअल लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं करता है तो उससे वह जमीन छीनी जाकर तकसीम की जा सकती है।

यदि यह सिद्धांत केवल जागीरदारों के लिए लागू है तो बात समझ में आती है। लेकिन हमने इस सिद्धांत को मोटे रूप में स्वीकार किया और जहां हमने इस सिद्धांत को मोटे रूप में स्वीकार किया है तो यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो वर्षों से खेतिहर थे, जो वर्षों से काश्त करके अपना जीवन साधन जुटाते थे उन सबको जमीनें देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन लोगों को नहीं जिनके पास दूसरे धन्धे हैं और उनके साथ साथ खेती करा रहे हैं। जिन लोगों के पास दूसरे धन्धे हैं, उन धन्धों के साथ साथ खेती भी है इतनी व्यवस्था तो करें कि सारे के सारे लोग अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा खेती की उपज में भाग लें। लेकिन जयपुर में बैठे रहें, टेलीफोन से खेती की व्यवस्था करें, खेती कैसी हो रही है, किस तरह से हो रही है, कौन आदमी कर रहे हैं, खेती की क्या तरक्की हो रही है वे लोग खातेदार टिनेन्ट्स बने रहें तो वह इस सिद्धान्त की मूल भावना के प्रतिकूल होगा और इसीलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। जिन लोगों ने सन् ४८ से लेकर अब तक खेती के लिए जमीन ली और सन् ४८ से पहले पहले काश्त नहीं करते थे उन लोगों से जमीन छुड़वाई जाकर उन लोगों को दी जाय जो खेतीहर थे और उनका जीवन निर्वाह न होने से जो आज सारे भूखे बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष, इस सदन में कई बार इस सम्बन्ध में चर्चा आयी है। राजनैतिक पीड़ितों के नाम से जमीनें देने की व्यवस्था की जा रही है, कुछ बड़े बड़े नेताओं को जमीनें दी जा रही हैं, जो लोग जयपुर में बैठे रह कर वहां व्यवस्था करते हैं, किसी को बूंदी में जाकर दी जा रही है, किसी को छोटी सादड़ी में दी जा रही है, वे यहां रह कर वहां की जमीनों की व्यवस्था करते हैं, सादड़ी की जमीन की व्यवस्था करते हैं, बच्चे के नाम से खेती की यहां बैठे रह कर व्यवस्था करते हैं, उन लोगों को यहां तनख्वाह मिलती है, वे लोग मजदूर नहीं हैं, वे जमीनों को सब टिनेन्ट्स को देते रहें और पर्चे अपने नाम से लेते रहें, कानून में एक प्रकार से छूट दे रखी है, आप उनको छूट देते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि कोई जागीरदार यह करता है तो उस पर कानून

[श्री भैंरू सिंह]

जबरदस्ती लागू होगा और इस तरह से लागू होगा कि कोई चीज़ लगाते हो तो ठीक लेकिन जबरदस्ती लगाने की चेष्टा करना उस मूल सिद्धान्त के विपरीत है, उनको बेदखल करना मूल सिद्धांत के विपरीत है। जो मूल सिद्धान्त है उसको दृष्टि में रखते हुए मेरी ऐसी पर्सनल मान्यता है कि इसको पूरी भावना के साथ लागू करना चाहिए और मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री अमृतलाल यादव के पास सादड़ी में जो १०० बीघा जमीन है उनको वहां से बेदखल किया जाय और वहां के सारे के सारे भोमिये हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीनें दी जांय।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—The Hon, ble Member should not cast personal remark on persons.

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं लिस्ट बता रहा था ऐसे व्यक्तियों की...

श्री अध्यक्ष— Should not be personal.

श्री भैंरूसिंह—ऐसे लोगों को जमीनें दी गई हैं जो लोग खेती नहीं करते हैं, पर्सनल लेबर नहीं करते हैं; दूसरे धन्धे हैं जिनके पास, नौकरी करते हैं।

श्री अध्यक्ष—Question of Khatedari.

श्री भैंरूसिंह—ऐसे लोग खातेदार हैं और एक्ट में यह रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—No aspersions and the speech should not be stingy.

श्री भैंरूसिंह—अगर आप फरमायेंगे तो मैं नहीं कहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि अगर खातेदारी के अधिकार छीनना है तो सरकार छीनकर ऐसे लोगों को दे जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जीवन यापन के साधन नहीं हैं, जो लोग साधन हीन हैं और भूखे बैठे हैं। न्याय यह कहता है कि खातेदारी की आड़ में उनको बेदखल न करें। जो लोग लोगों के श्रम का फायदा उठाते हैं, किसी तरह से खातेदारी के पर्चे हांसिल करके दूसरे लोगों के श्रम से फायदा उठाते रहें, सब लेट करते रहें और उनसे आमदनी उठाते रहें, उस जमीन में पेड़ हैं तो उन पेड़ों को काटते रहें और उनको बेचते रहें और उनसे फायदा उठाते रहें, यदि यह व्यवस्था दूसरों के लिए है तो और भी खातेदारों के साथ यही व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन और के साथ यह व्यवस्था नहीं है। और खातेदार अगर गड़बड़ी करेंगे तो उनको सजा मिलेगी लेकिन जो बड़े बड़े नेता इस तरह से गड़बड़ी करते हैं उनके लिए वह कानून लागू नहीं होगा। मेरी

Page No 40

[श्री भैरूंसिंह]

निहायत नम्र शब्दों में अर्ज है कि यह सदन को शोभा देने वाली बात नहीं है, यह डिस्क्रिमिनेटरी पॉवर्स हैं जो दिये जा रहे हैं और इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष, मैंने एक ऐसी लिस्ट तैयार की है, पांच सात दिन महनत करके....

श्री अध्यक्ष—That is waste of labour.

श्री भैरूंसिंह—वेस्ट ऑफ लेबर तो नहीं है। उससे सदन को जानकारी होती कि किस तरह हथकन्डे काम में लाये जाते हैं और पर्चे लिये जाते हैं।

सबलेटिंग के प्रश्न को लेकर चर्चा हुई तो एक यह भी प्रश्न आया था कि फौजियों को और जितने सिविल सर्वेन्ट्स हैं उनको सबलेटिंग की इजाजत दें या नहीं। मुझे याद है कि जिस दिन इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही थी काफी बुलन्द आवाज में इस प्रश्न को रखा गया था कि जिन लोगों के पास सरप्लस धन्धे हैं, कई धन्धे हैं उन लोगों को कह दिया जाय कि उनके पास जो धन्धे हैं उनमें से यदि वे खेती को प्रिफरेन्स देना चाहें तो खेती के धन्धे को स्वीकार करें और बाकी धन्धों को छोड़ दें। उसमें फौजियों के लिए व्यवस्था करने की चेष्टा की थी। यदि इमरजेन्सी के टाइम में फौजियों के लिए इस प्रकार का प्रतिबन्ध रहा तो वे फौज में नहीं जावेंगे और डिफेन्स की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। सदन में यह राय थी कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था फौजियों के लिए करें तो अनुचित नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के पास कई धन्धे हैं, जो लोग शहरों में रहकर अपना धन्धा करते हैं, पचास हजार रुपया इनकम टेक्स का पे करते हैं, वे लोग बाहर जाकर गांवों में जमीनें लें और उन जमीनों की आमदनी से, दूसरों के परिश्रम से फायदा उठावें, जिन लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा है, मिलें चलाते हैं, वे लोग उन जमीनों का भी फायदा उठायें। माननीय अध्यक्ष, शेखावाटी का एरिया सदन के सदस्यों से परिचित है, कोई ऐसा नहीं होगा, चौतरफ माइल्स में, बड़े बड़े सेठों ने परकोटे लगा कर घेर लिया है वे उसकी आमदनी लेते हैं और कलकत्ते में बैठे मिलें चलाते हैं, उस जमीन की आमद उनको होती है दूसरों के परिश्रम से। जिन लोगों के पास काम धन्धा नहीं है, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिन लोगों के पास खेती की जमीन नहीं है, जमीनों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहां ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिन लोगों के पास सरप्लस धन्धे हैं, जिन लोगों के पास जीवन निर्वाह के पूरे साधन हैं, खेती नहीं करते हैं उन लोगों से कहा जाय कि वे दूसरे साधन जो उनके पास हैं उनको छोड़ें और ऐसे लोगों को जीवन निर्वाह करने के लिए जिनके पास जमीन नहीं, है धन्धा नहीं है उन पर उनको प्रोवाइड करने की व्यवस्था करें और जिन लोगों का कब्जा जमीनों पर है उनसे छुड़वा कर उनको लैंड लेस टिनेन्ट्स में तकसीम करें, गांवों में बेकार बैठे हैं उन सारे के सारे लोगों को प्रोवाइड करें। इसके लिए हमको सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—This is not relevent.

श्री भैंरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने इसमें संशोधन दिया है। वह यह है—"that the tenant is paying income-tax under the Indian Income-tax Act.'

जहां तक मेरी जानकारी है माननीय अध्यक्ष, ४२०० से ऊपर की आमदनी का इन्कम टेक्स देना पड़ता है। प्लानिंग कमीशन ने एक फेमिलि के लिए १२०० की आमदनी स्वीकार की है। मैंने यह रियायती संशोधन रखा है कि १२०० से बढ़ाकर ४२०० तक कर दी जाय कोई ज्यादती नहीं होगी। ४२०० से ऊपर की आमदनी वाले पर यह पाबन्दी होनी चाहिए कि वह खेती का धन्धा छोड़ दे और जिन लोगों को उस धन्धे से महरूम कर रखा है उनको वह धन्धा करने दे। जहां तक धन्धे का प्रश्न है हर आदमी को अपने माइन्ड को एक तरफ ही एक्जर्ट करना चाहिए अगर खेती के लिए उसकी चेष्टा है तो वह खेती करेगा, उसके लिए श्रम करेगा, लेकिन उसका माइन्ड अगर डाइवेर्टेड हो, वह खेती भी रखे, किराया भी वह कमाये- चाहे वह फैक्टरी चलाये चाहे मामूली बिजनिस चलाये,इस प्रकार से अगर माइन्ड डाइवर्टेड रहे तो उस डाइवरशन की वजह से एक प्रमुख धन्धा अपना कर महनत करके उस धन्धे की उन्नति नहीं कर सकेगा। किसी विशेष रुची के धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिये, सोर्सेज़ को लिमिटेड बना कर अपने सारे श्रम को एप्लाई करें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। डाइवरशन रखा तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की उस धन्धे की तरक्की नहीं कर सकेगा। इस सीमा का निर्धारण करने के लिए जो इन्कम टेक्स देते हैं, जिसकी आमदनी ४२०० से ज्यादा है उन लोगों से पूछा जाय कि उस आमदनी में रहना चाहें तो अपना धन्धा कमाते रहें, और नहीं रहना चाहें तो खेती की जमीनें उनसे ले ली जायं और उन लोगों को दी जायं जिनके पास जमीन नहीं है, जो सारा समय खेतों में देना चाहते हैं, देते है।

माननीय अध्यक्ष, आपको देख कर ताज्जुब होगा कि राजस्थान के वकीलों की सदन में कई बार चर्चा होती है। वकील लोग वकालत करते हैं। किसी के पास २० बीघा जमीन है, किसी के पास ३० बीघा जमीन है, किसी के पास ४० बीघा जमीन है, किसी के पास ६० बीघा जमीन है, उनके मुवक्किलों के जरीये खेती कराते हैं, मुफ्त में खेती कराते हैं, वे चाहे खेती करें,वे पूरी इन्कम घर पर लाकर छोड़ देते हैं, मैं वकीलों से इतनी नफरत नहीं करता जितनी कि जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य करते हैं। वकीलों का काल है। जमीन लेकर उसका फायदा उठाते हैं और इन्कम टेक्स भी देते हैं। अब उनके पास इन्कम का जरिया है, जीवन निर्वाह के साधन हैं तो ऐसी सूरत में जो लोग सोशलिस्ट पेटर्न की मांग करते हैं, जो सोशलिस्टक पेटर्न ओफ सोसायटी बनाने के लिए नारे लगाते हैं इस प्रकार की समाज रचना के ढोल पीटते हैं, जो यह कहते हैं कि केवल श्रम ही नहीं बल्कि धन के साधनों का भी वितरण करना चाहिये और इस व्यवस्था की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिये। सोशलिस्टक पेटर्न के नारे लगानेवालों के थोथे नारों से समाज की रचना

[श्री भैरोंसिंह]

नहीं होगी, बल्कि इन सिद्धान्तों को स्वीकार करके उस पर चलने की चेष्टा करने से समाज का कल्याण होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो लैंड लेस टिनेन्ट्स हैं, जो खाली और बेकार हैं उनको काम देने के लिये जिनके पास सरप्लस धंधे हैं वे उनसे छीन कर ऐसे बेरोजगार लोगों में तकसीम करना चाहिये।

मैंने एक प्रोविज़ो एड किया है। उसमें लिखा है :

"Provided that this Section shall not apply to Jagirdars whose jagirs have been resumed or are liable to be resumed under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952."

मैं समझता हूं, मेरा यह जो संशोधन है उसका उत्तर देते समय इस बात की आड़ ली जायगी कि इसमें जागीरदारों को एग्जेम्प्ट करने का प्रोविजन क्यों रखा गया है ? मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा कि उनको एग्रीकल्चरल टैक्स भी देना पड़ता है। आपने उनका धन्धा छीन लिया है, उनकी जागीर छीन ली है, उनको रिहेबिलिटेट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हम उनको पूरी तरह से रीहेबिलिटेट करदें ऐसी स्टेज आवे तब उन पर पाबन्दी लगावें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जहां उनका रिहेबिलिटेशन अधूरा पड़ा है इन्कम्पलीट पड़ा है उनको रिहेबिलिटेट करने की समस्या मुंह बाये खड़ी है उस स्थिति में उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वह भी छीन ली जायगी और बाकी लोगों से छीनने का प्रश्न नहीं आयेगा। इसलिये मैंने जागीरदारों को इससे अलग रखने का प्रोविज़ो संशोधन में एड किया है। मैं समझता हूं मेरा व्यू-पोइन्ट स्पष्ट है इसलिये इसे स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं आयेगी। मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो विचारधारा मैंने आपके सामने रखी है उस पर गम्भीरता से विचार करने की चेष्टा करें।

श्री गोपीलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि किस वकील के पास जमीन है यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आप क्यों चौंके ?

श्री भैरोंसिंह—उनकी इच्छा पूर्ण हो जायगी यदि मैं लिस्ट पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—यादव साहब के पास तो नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह—यादव साहब ही केवल एक वकील नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने रखा है, मैं समझता हूं उस अमेन्डमेन्ट से प्रोपेगेन्डा वेल्यू के सिवाय कोई सार

[श्री दामोदरलाल व्यास]

नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि न तो यह अमेन्डमेन्ट उपयुक्त ही है और न यह रहना ही चाहिये। जिस तरह से वे उसको रखना चाहते हैं उस तरीके से वैधानिक दृष्टि से रखा जाने योग्य नहीं है। यह जरूर है कि उन्होंने लैंड लेस टिनेन्ट्स और लेबरर्स के प्रति काफी हमदर्दी दिखला कर उनकी सिम्पेथी गेन करने की कोशिश की है। जैसा उन्होंने खुद ने कहा है कि कोई उनको गलत नहीं समझले, गलत समझने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस अमेन्डमेन्ट के पीछे जो भावना है उससे सदन के सदस्य भली भांति परिचित हैं। टिनेन्सी एक्ट की दफा १६ में हमने खातेदारी राइट्स दिये हैं। १५ अक्टोबर, १९५५ को जिन के खातेदारी राइट्स पैदा हो गये हैं उनके खातेदारी राइट्स को इस अमेन्डमेन्ट के जरिये छीन लिया जाय यह इनकी मंशा है।

श्री भैरोंसिंह—(अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास—आप सुनिये मैं बता रहा हूं। इसमें टिनेन्सी एक्ट में प्रोविज़न किया है कि माइनर्स, विडोज़, आर्म्ड पर्सनल्स वगैरह को सब लेट करने का अधिकार है। अब यदि उनके इस संशोधन को मान लिया जाय तो उनके राइट्स छीन लिये जायेंगे और टिनेन्सी एक्ट में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वह खत्म हो जायगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि एक तरफ हमने टिनेन्सी एक्ट में जो राइट्स दिये हैं वे छीन लिये जांय और उनसे भूमि लेकर भूमि हीन किसानों को दे दी जाय। इस संशोधन में उन्होंने यह भी नहीं रखा है कि जिनसे जमीन छीनी जायगी उनको कम्पेन्सेशन भी दिया जायगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ऐसी परिस्थति नहीं है कि भूमि हीन किसानों को जमीन एक्वायर कर लेंगे। इसके मायने यह होंगे कि यह अमेन्डमेन्ट अल्ट्रावायरस होगा, कानून के खिलाफ होगा और इसको मानना नहीं के बराबर होगा। इसको इन्सर्ट करने का मतलब यह होगा कि इस पर अमल नहीं कर सकेंगे क्यों कि यह प्रेक्टिकेबल नहीं है। न तो किसी के राइट्स लिये जा सकते हैं और न दिये जा सकते हैं।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही वह यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सन् ४८ के बाद में खेती करना शुरू किया। आपका मतलब यह है कि सन् ४८ से ५ वर्ष पहले से जो खेती करते आये हैं वे ही लोग खेती के धंधे पर रखें और बाकी कोई व्यक्ति खेती करने आ ही नहीं सकता। यह एक अजीब बात है कि खेती करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाय कि कोई आदमी सन् ४८ के बाद खेती के लिये जमीन नहीं ले सकता है और न कोई खेती ही कर सकता है।

तीसरी बात पुरजोर शब्दों में यह कही कि उन्होंने प्रश्न पूछे थे और उनका जवाब दिया गया था। यह ठीक है कि प्रश्न पूछे गये थे और जवाब दिया गया था। हमने टिनेन्सी एक्ट

[श्री दामोदरलाल व्यास]

में प्रोविजन रखा है कि नाबालिग को, बेवाओं को, आर्म्ड पर्सनल्स को सब लेट करने का अधिकार है तो बगैर किसी मुआवजा दिये, बगैर किसी कानून से किसी को जमीन ले ली जाय यह कैसे हो सकता है ? यह कैसे कहा जाय कि उनको सब लेट करने का अधिकार नहीं दिया जाय। आप यह चाहते हैं कि यदि किसी के पास जमीन है जो खेती नहीं करते हैं तो उनसे जमीन ले ली जाय और उनसे सारे अधिकार ले लिये जांय और भूमिहीन किसानों को वह जमीन दे दी जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हरगिज वाजिब नहीं होगा।

भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिये हमने कानून बनाया है। किसी को जमीन एलोट करते समय पहली प्रायोरिटी उनको देते हैं। इसलिये भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए जमीन की कमी नहीं है, प्रेशर ओन लैंड इतना नहीं है कि उनको जमीन नहीं दी जा सके। जहां तक खुद काश्त का सवाल है मैं बताना चाहता हूँ कि सिवाय २,३ जिलों को छोड़कर और कोई जिले ऐसे नहीं हैं जहां ज्यादा इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो। वहां भी जमीन रिज़र्व कर रखी है जो खुदकाश्तवालों को एलोट की जायगी। खुदकाश्त के नाम पर हम खातेदारी राइट्स छीनलें यह कैसे हो सकता है जिनको कानून से अधिकार मिले हैं उनसे वे अधिकार बगैर किसी कारण के ले लें यह वाजिब नहीं होगा और यदि ऐसा प्रोविजन इस कानून में कर देंगे तो यह अल्ट्रावायर्स होगा और जहां पर आप रखना चाहते हैं वहां पर यह रहने योग्य नहीं है, इसलिए यह मंजूर करने योग्य नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह कानून का प्रश्न है। यदि इसको अमेंड करेंगे तो इसके साथ २ कितनी ही धारायें अमेंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले सेक्शन १६ को ही अमेंड करना पड़ेगा। कोई आदमी जिसके पास सन् ४८ के बाद जमीन आई है उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। हमने कोई प्रोविजन नहीं किया कि नाबालिगों को सब लेट करने का कोई अधिकार नहीं होगा, बेवाओं को सब लेट करने का अधिकार नहीं होगा या अमेंड पर्सनल्स को सब लेट करने का अधिकार नहीं होगा। हमने यह प्रोविजन नहीं किया कि मैन्युअल लेबर कांट्रिब्यूट कोई आदमी नहीं करता है तो उसको जमीन पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे टिनेन्सी एक्ट में पर्सनल कल्टीवेशन का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। इसी प्रकार से सेक्शन ८१ को भी उसी प्रकार से रहने देना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि इसे मान लिया गया तो यह अल्ट्रावायर्स होगा। इसलिए इसको नहीं माना जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के उत्तर में जो बातें बताई गई हैं उनका मुख्य मुद्दा, जहां तक मैं समझ पाया हूँ मन्त्रीजी का यह कहना है कि ऐसे संशोधन को स्वीकार करने पर यदि किसी पार्टी द्वारा यह चेलेन्ज किया जायगा अल्ट्रावायर्स (ultra vires) करार दिया जायगा और यह अल्ट्रावायरस ऐसी सूरत में जरूर होगा जब कि कम्पेन्सेशन का इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है। इस एक्ट के मातहत जिनको खातेदारी राइट्स दे चुके हैं उन अधिकारों को इस प्रकार का संशोधन लाकर वापिस छीना जाता है और यदि उनके कम्पेन्सेशन का प्रोविजन नहीं किया गया तो वह कानून अल्ट्रावायरस जरूर घोषित कर दिया जायगा।

[श्री भैरूं सिंह]

जिस टिनेन्सी एक्ट की माननीय मंत्रीजी चर्चा कर रहे हैं कि टिनेन्ट को बेदखल किया जाय, किसी टिनेन्ट को बेदखल किया जाता है तो उसके साथ साथ हम उसे कम्पेन्सेशन देंगे इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में है। यदि इस सिद्धान्त को वे मानते हैं कि जो आदमी ४८ से किसी जमीन पर काबिज है और परसनल लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं करता है तो ऐसे आदमी को हमें बेदखल करना है। मैं तो मानता हूँ अभी भी टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन है, और अगर इससे कोई इन्कार करता है तो मैं यही कहूंगा कि उनको जानकारी नहीं है। और मान भी लिया जाय की ऐसा प्रोविजन नहीं है तो आज नहींकल अमेंडमेंट ले आयेंगे और अगर असेम्बली एडजोर्न होती है तो ऑर्डिनेन्स पास कर सकते हैं।

अभी मन्त्री महोदय ने दूसरी आड ली कि यदि नाबालिग आदमी के लिये सबलेटिंग की व्यवस्था की है तो वह ठीक है, यदि नाबालिग सबलेट करता है तो उसको ऐसा करने का अधिकार है। जिस समय इस प्रकार की व्यवस्था इस सदन में की गई थी तो उस समय उधर के लोगों ने बताया था कि नाबालिग और विधवा की परिभषा क्या है। मैंने उस बहस में खास तोर से भाग लिया था, लोगों ने बताया कि जिस लड़के के आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं हो, जो लड़का पढ़ रहा हो, जिस के लिये जरिया मास न हो वह सब लेटिंग के पॉवर को अपने लिये काम में ला सकता है पर जिस बालिग की चर्चा चल रही है उसके वालिद १००० रुपया माहवार कमाते हैं। उस बालिग को आपने सबलेटिंग का अधिकार दिया है, यह सबलेटिंग का गलत उपयोग किया गया है राजनैतिक दुरुपयोग किया गया है उस नाबालिग को सबलेटिंग का अधिकार दिया है जिसके कमाई चौतरफ से होती है।

यदि मन्त्री महोदय मेरे संशोधन की भावना को स्वीकार करते हैं तो यह जिम्मेदारी मेरी हैं कि, लॉ डिपार्टमेंट से डिस्कस करके, आपका सदन का सहयोग लेकर वह सारे संशोधन प्रस्तुत करूंगा, जो पर्सनल लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं उनसे यह जमीनें छीनी जायं। मेरे संशोधन की मंशा यह है कि १९५६ के बाद में भी जो कब्जा करे, पर खुद श्रम करे, दूसरे के श्रम का फायदा नहीं उटावे तो ठीक है, पर जिसने ४८ के बाद में कब्जा किया है, परसनल लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं करता दूसरे की महनत से फायदा उठाता है, तो उसे बेदखल कर दिया जाय। जो आदमी खेतीहर नहीं, सन् १९४८ के पहिले जिसने नहीं की, आज खेतीहर बन कर बैठ गया, ऐसे आदमी को बेदखल करने में आपत्ति क्या है? और जो सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाने वाले हैं उन्हें तो ऐसे सिद्धांत का आगे आकर स्वागत करना चाहिए।

माननीय मंत्रीजी ने खुद काश्त का कहा कि लैंड लैस टिनेन्ट्स हैं, जो खेती करना चाहते हैं उनको जमीनें दे रहे है, जमीनें नहीं मिलती हैं तो लैंड एक्विज़िशन एक्ट के मातेहत जमीनें छीन कर सब को दे देंगे। लैंड एक्विज़िशन एक्ट के तहत में कभी लैंड नहीं ली जाती ऐसा आज तक नहीं हुआ, लैंड एक्विज़िशन का कानून देखें तो पता चलेगा कि वह खेती के लिए

Page No 46

[श्री भैरोंसिंह]

जमीनें लेने का नहीं होता, सार्वजनिक हित की दृष्टि से कोई जमीन लेने की जरूरत हो तो वह खेती के अलावा और दूसरी जमीन ले सकते हैं। मुझे उनकी जानकारी पर दुख हुआ जो उन्होंने कहा कि लैन्ड एक्विज़िशन कानून के वे उन लोगों से जमीनें ले कर लैंड लेस लोग हैं, उनको जमीनें दे देंगे। यहां लैंड एक्विजिशन कानून की जरूरत नहीं, इसके लिये तो सीलिंग की जरूरत है। जिन लोगों के पास बहुत जमीन है, जो लोग जमीन के महत्व को नहीं जानते उन लोगों से जमीनें छीन कर, श्रम करने वालों को दें।

अतः मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करें, सोशलिस्टिक पेटर्न के नारे को बुलन्द करने के लिये, अधिक प्रोग्रेसिव कानून पास करने के लिये मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

इस तरह मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है खंड ३८ के जरिये मूल एक्ट की क्लॉज़ १८० (ए) रखी जाय, उसे स्वीकार किया जाय।

(मत दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह—'हां' पक्ष जीता माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—क्या वोइस वोट (voice vote) से ?

श्री भैरूंसिंह—यह बहुत इम्पोर्टेन्ट संशोधन है, इससे पता तो लगेगा कि कौन २ इसके विरोध में हैं।

(विभाजन घंटी के पश्चात् २ मिनट के विराम के अनन्तर)

श्री भैरोंसिंह—इस संशोधन को पढ़ कर सुना दिया जाय, माननीय, ...

श्री अध्यक्ष—आप लोबीज़ में जाकर बता देते।

Page No 47

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८० (ए) के नये समावेश का जो संशोधन खण्ड ३८ के जरिये श्री भैरोंसिंहजी करना चाहते हैं, उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह—'हां' पक्ष जीता माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—The multiplicity of voices is quite clear.

जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जाय।

(विरोधी पक्ष के ८ सदस्य खड़े हुए)

अब जो इसके विरोध में हों वे खड़े हो जायं।

(राज्य पक्ष के सदस्य अधिक संख्या में खड़े हुए)

Clear ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३९

श्री **दामोदरलाल व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मेरा ऐमेन्डमेंट इस क्लॉज़ ३९ में इस प्रकार है कि जो नया सेक्शन १८२ (बी) सिलेक्ट कमेटी ने इसमें रखा है उसमें यह नया क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट कर दिया जावे जो इस प्रकार है :

"In clause 39 of the Bill substitute the following for the proposed new section 182-B:-

"182B.-Restoration of land not brought under personal cultivation. (1) If the land holder at whose instance or upon whose application......"

श्री अध्यक्ष—Quite clear. I think this is accepted by the whole House unanimously.

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३६....

श्री शंभुसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३१ में १८२ (ए) पर मेरा एक संशोधन है। इस पर मेरा संशोधन इस प्रकार है : "The words' two years' be substituted in place of the words'one year' in line 4."

अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की क्लॉज़ १८० में जहां:

"Additional provisions for ejectment of Khudkasht or Ghair Khatedar tenants or sub-tenants-

श्री अध्यक्ष—एक साल की जगह दो साल चाहते हैं ?

श्री शंभुसिंह—इसमें जो व्यवस्था की गई है कि जिस व्यक्ति का ५ साल तक कन्टीन्यूअस पज़ेशन रहा है यानि १६४८ : ४६ से पहले का जिसका कब्जा हो वह जमीन लैन्ड होल्डर को वापिस कर दी जानी चाहिये। लेकिन इस व्यवस्था के ज़रिये एक वर्ष की मियाद डाली जा रही है कि अगर वह , ... ऐ

श्री अध्यक्ष—यह ऐसा है।—

"182A. Limit of time for certain applications under section 180.- No application for ejectment under clause (a) or clause (d) of section 180 shall be entertained if made after the expiry of one year from the commencement of this Act."

'वन इयर' के बजाय "टू इयर" चाहते हैं। क्या यह एक्सेप्टेड है ?

श्री शंभुसिंह—इससे विशेष व्यक्ति को हानि पहुँचाने की चेष्टा की जावे और इस प्रकार के आरबीट्रेरी क्लॉज़ है उसमें सुधार हो जाता है कि जिनकी जमीन नावाजिब तरीकों से छीनी गई हो वह वापिस लेने के लिये दरख्वास्त देते हैं और जमीन वापिस लेने की जो जमीन उनके पास प्रेक्टीकल होल्डिंग से एक्सेस है वह वापिस दे दी जावे। या-४८—४६ से पहले हैं उसको वापिस दे दिये जावें। इसलिये यदि कोई वहां पर मौजूद नहीं हो तो इससे लैन्ड होल्डर को नुकसान पहुँचाने के लिये एक साल की मियाद डाल दी गई है वह ना काफी है, यदि उसको पता

Page No 49

[श्री शंभुसिंह]

नहीं लगे और वह दरख्वास्त नहीं दे सकता है तो यह कह कर उसको बाद में टाल दिया जावेगा कि दरख्वास्त तुमने मियाद के अन्दर नहीं दी और तुमको जमीन वापिस नहीं दी जावेगी . . .

श्री दामोदरलाल व्यास—I accept his amendment.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड ३६ में मूल एक्ट की धारा १८२ ए के सम्बन्ध में श्री शंभुसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ में मूल एक्ट की धारा १८२ (बी) के सम्बन्ध में जो संशोधन श्री दामोदरलालजी ने रक्खा है स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ४०

श्री शंभुसिंह—मैं मूव करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४०, ४१, ४२ और ४३, स्वीकार किया जायं।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ४०, ४१, ४२ और ४३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड ४४— श्री शम्भूसिंह।

श्री शंभु सिंह—माननीय अध्यक्ष, खण्ड ४४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"A village servant shall be liable to ejectment from his village service grant on the suit--" 'on a decree in a suit' होना चाहिये। इससे इसका मतलब पूरा नहीं निकलता है और ये वर्ड्स एड करने से इस धारा का स्पष्ट अर्थ व्यक्त हो सकता है। इसलिये भाषा को साफ करने के लिए 'a decree of' रखा गया है, इनको words 'on' and 'the' के बीच में जोड़ा जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—जरा आप अपना संशोधन पढ़ दें।

श्री शंभुसिंह—आपके एमेन्डेड बिल के क्लॉज़ ४४ में यह सबस्टीट्यूट करना चाहिए :

"A village servant shall be liable to ejectment from his village service grant on a decree of the suit of the estate holder or, in case such grant is held directly from the State Government, on notice by the Tehsildar."

तो फिर वह लाइबल इजेक्टमेंट नहीं होता। डिग्री मिलती है तब से होना चाहिए, सूट दायर करने से ही काम नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष— To be more accurate.

श्री दामोदरलाल व्यास—सूट का मतलब साफ है, डिक्री होगी तभी होगा।

श्री शम्भु सिंह—जिस दिन सूट दायर करें उसी दिन से हो सकता है। इसलिए डिक्री शब्द रक्खा है।

श्री अध्यक्ष—The amended clause will be this.

"A villageservant shall be liable to ejectment from his village service grant on a decree in a suit of the estate holder or, in case such grant is held directly from theState Government, on notice by the Tehsildar."

Page No 51

श्री दामोदरलाल व्यास—I accept the amendment. "A village servant shall be liable to ejectment from his village service grant on a decree in a suit..."

श्री अध्यक्ष—"...on a decree in a suit..."

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंभुसिंहजी ने खण्ड ४४ के अन्तर्गत रखा है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४४, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ४५ से ५६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ से ५६ तक स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४५ से ५६ तक विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड १, शीर्षक, भूमिका इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ और शीर्षक भूमिका इत्यादि बिल का अंगभूत स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १, शीर्षक, भूमिका इत्यादि विधेयक के अंग बने।

Page No 52

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

रावत श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर एतराज है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक जिस दिन कोई बिल कन्सीडरेशन को लिया जाता है इमीडियेटली उस दिन उस बिल को पारित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह जो पारित करने का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं ओब्जेक्शन रेज़ करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपको इसमें एतराज क्या है ? मैं रूल आउट करूं या न करूं, I want to know your difficulty.

रावत श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस पर जो संशोधन दिये थे उनको नहीं माना गया, इसलिए मैं एतराज पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपके तो सब संशोधन मान लिये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

रावत श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल डिस्कशन के तौर पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—We are not in a hurry to pass it. If there is any substantial contribution, I will welcome it.

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित सदन के समक्ष आया है उसमें जो मूलभूत सिद्धान्त हैं उससे मुझे मतभेद है। उसी पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस अधिनियम की यह मन्शा

[रावत श्री शंभुसिंह]

है कि ऐसी सम्पतियां जिनका कोई अन्तिम उत्तराधिकारी न हो; वे सम्पत्तियां फिर किसको मिलेंगी ? अलटीमेटली इसमें यह व्यवस्था है कि इस प्रकार की सम्पतियां जो उत्तराधिकार से वंचित हैं वे सम्पत्तियां स्टेट में निहित हो जायगी इस अधिनियम के पास होने के बाद ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे हिन्दू विचारों के अनुसार कुछ मतभेद है, जहां तक मैं समझता हूँ हिन्दु लों में, मिताक्षरी में, ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति के उत्तराधिकार के काल में कोई सम्पत्ति उत्तराधिकार से वंचित नहीं हो सकती और मिताक्षरी के अनुसार उस अधिकार की जो व्यवस्था की गई है उसकी बहुत लम्बी तालिका है, फिर भी उस तालिका में किसी का सन्निवेश नहीं होता है तो वह सम्पत्ति एक ब्राह्मण को मिल सकती है, वह राज्य में या सरकार में वेस्ट नहीं की जा सकती। तो उत्तराधिकार से विहीन किसी सम्पत्ति को मानकरके उस सम्पत्ति को गवर्नमेंट में वेस्ट नहीं की जा सकती किसी भी सम्पत्ति का अन्तिम उत्तराधिकारी न हो उस सम्पत्ति का उपयोग इस प्रकार से होना चाहिये जैसा कि पहले ब्राह्मणों को दे दी जाती थी, उस सम्पत्ति को अलग रखने के वास्ते ट्रस्ट बना दिया जाता था और उस ट्रस्ट से जो आमदनी होती है उस आय से जनहित के कार्य किये जाते थे जैसा कि आज कल के समय के लिये आवश्यक हो । अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सम्पत्तियों, जिनको उत्तराधिकार से विहीन मानकर सरकार जब्त करले मेरे विचार के अनुसार इस प्रकार की सम्पत्तियां जब्त नहीं की जा सकतीं, वे सम्पत्तियां धार्मिक कार्यों के वास्ते अलग रखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ उसका विरोध करने से आपका क्या मतलब था यह मैं नहीं समझ पाया । आप यह चाहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष—इनका तो जनरल ओब्जर्वेशन था ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (जारी रखते हुए)—उनका जो जनरल ओब्जर्वेशन है उस पर मेरा अर्ज करना यह है कि उत्तराधिकारी की हैसियत से सब एक्जोस्ट हो जाते हैं तो वैसी सूरत में वह सम्पत्ति स्टेट में वेस्ट हो जाती है । इसके अलावा जो प्रोसीजर इसमें रखा है उसमें किसी को एतराजात हों राइट्स के बारे में तो वह सिविल कोर्ट में जा सकता है और जो सिविल कोर्ट का जजमेन्ट होगा वह दोनों पार्टीज़ को मान्य होगा । इसमें हरेक स्टेज पर सिविल कोर्ट का प्रोविजन रखा है । फिर मैं नहीं समझ सकता कि इससे ज्यादा क्या सेफगार्ड किया जा सकता है । मैं समझता हूं विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर इसको पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ को जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित है, विचारार्थ लिया जाय ।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजगामी संपत्ति नियमन विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

Yes next.

राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष—Where is the Hon'ble Home Minister ?

श्री भैंरोंसिंह—एडजोर्न कर दिया जावे सहाब अब। यह कन्ट्रोवर्शीयल है इसको इसलिये आज न लिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६ का विचार इस वक्त स्थगित कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह इस वक्त....

श्री भैरूंसिंह—ठीक है सहाब हम भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—ठीक है, यह तो मेहरबानी है उनकी।

श्री अध्यक्ष—I fail to understand the propriety of this motion coming from the treasury benches.

श्री दामोदरलाल व्यास—There are particularly certain points on which we need mutual discussion because it is a social legislation.

श्री अध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तो पेश करिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—वह तो हो गई साहब।

श्री अध्यक्ष—There is a motion that the Select Committee Report should be taken into consideration and the further consideration be stayed.

श्री भैरोंसिंह—शायद मोशन मूव करने की भी नौबत न आवे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६ को विचारार्थ, मैंने जैसा अर्ज किया, लिया जावे और यह विचार आइन्दा के लिये स्थगित कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—Is it the wish of the house to postpo'ne the consideration of the Report of the Sele-ct Committee on the Rajasthan Prevention of Ex-communication Bill.

(स्वीकृत)

विचार स्थगित किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि म्युनिसिपेलिटी बिल को अब पारित किया जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—यह तो आज के एजेन्डा में नहीं है साहब।

श्री श्रीदास गोयल—मंत्री महोदय भी नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह—इस बारे में शाम को ६ बजे उन्होंने एक मीटिंग भी रक्खी है।

श्री अध्यक्ष—कुछ विचार प्रकट कर दें थर्ड रीडिंग में।

श्री वेदपाल त्यागी—आज शाम को मीटिंग कॉल की है। उसमें इस बारे में जो कन्ट्रोवर्शियल मामले हैं आपस में बैठकर तय कर लेंगे और कल रक्खा जावेगा।

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही अब कल प्रातःकाल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १० बजकर २० मिनिट पर कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १० मई, १६५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

शुद्धि-पत्र

दिनांक–१० मई, सन् १९५६ ई०

पृष्ट संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४५५६	१३	श्री ब्रिजेन्द्रपाल	श्री व्रजेन्द्रपाल
,,	१६	,,	,,
४५५७	२०	(गह्र मंत्री)	(गृह मंत्री)
४५५८	१५	अधिकार	अधिकारी
४५६१	२४	श्री भोगीलालपंड्या	श्री भोगीलाल पंड्या

कृपया पृष्ठ संख्या ४५७१ से ४६०२ तक के शीर्षकों को "राजस्थान कृषि भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १९५५" पढ़ें।